सेवामें,

माननीय मुख्य न्याय पीठ
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
मुख्य शाखा दिल्ली

विषय :– जनहित मूल प्रार्थना–पत्र संख्या 209/2022 मेघसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में सुनवाई आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.07.2023 के सन्दर्भ में।

प्रसंग :– (1) विगत तारीख पेशी 03.04.2023 को न्यायालय सुनवाई के दौरान विभिन्न जांच एजेन्सियों के कर्ताओं, खनन एवं प्रदूषण नियन्त्रण उपयोगकर्ता एजेन्सियों के अधिकारियों के अमानवीय दृष्टि के तहत न्याय प्रणाली के साथ बार–बार खिलवाड़ करने के विरूद्ध जो सार्वभौमिक न्याय प्रक्रिया अपनाई गई उसके लिए हम ग्रामवासी न्यायालय का ह्रदय से आभार व्यक्त करते है। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय में प्रकृति की जीत होगी।

महोदयजी,

(क) उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसंगानुसार निवेदन है कि हम ग्रामवासी विधी के विशेषज्ञ तो नहीं है, फिर भी न्यायालय निर्णित प्रकरण अखबार में जरूर पढ़ते है। इसके उपरान्त भी अज्ञानता व भावावेश में कोई बिन्दू प्रार्थना–पत्रों में गलत अंकित हो भी जाता है तो हम ग्रामवासी आपको करबद्ध क्षमाप्रार्थी है।

(ख) भारत का लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ न्याय प्रणाली पर टिका हुआ है। इसलिए इसको भारतीय जनसमुदाय की आत्मा कहा गया है। आप तो सर्वोच्च विधि विशेषज्ञ एवं विवेचनाकार है, फिर भी सुबह नजरे अखबार, समाचार पत्रों पर जाती है तो अवलोकन से कुछ न कुछ नया प्राप्त होता ही है। मैंने ऐसा कई बार इन्ही समाचार पत्रों में पढ़ा भी है कि जनहित की कोई समस्या अखबार में प्रकाशित होती है तो हमारी न्याय प्रणाली अखबार कटिंग को स्वतः संज्ञान में लेकर जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लेती है और 100 प्रतिशत न्याय होता है। ऐसी सर्व व्यापक न्याय प्रणाली की आंखों में धूल झोंकना मूर्खता ही है।

(ग) हमारे क्षेत्र में जितने भी अखबार प्रकाशित होते है, उन सबमें इस अवैद्य खनन के प्रकाशन हेतु हमने धक्के खाये यहां तक कि राजस्थान पत्रिका के प्रधान सम्पादक श्री गुलाब कोठारी तक सबूतों के साथ जयुपर मुख्यालय व इनके कार्यालय में रजिस्ट्रियां लगाई परन्तु आज तक किसी ने भी इस अवैद्य खनन महाघोटाले का प्रकाशन नहीं किया। इसका कारण क्या हो सकता ? आप व हम सब ग्रामवासी इसको जानते है। अब आप अन्दाजा लगाये कि इस भ्रष्टाचार की जड़े किस प्रकार फैली हुई है। गुलाब कोठारी प्रतिदिन अपने अखबार में बढ़–चढ़ कर अग्रलेखों का अंकन कर जनसमुदाय को नसीहत देते रहते है। पत्रिका समाज का आईना है। सरकार व जनता के बीच एक सेतु का कार्य करता है। मान्यवर आंकलन कीजिए कि एक रिर्पोटर दिन भर भागता है, उन्हे पगार मिलती है सिर्फ पांच–छः हजार रूपये, ऐसी स्थिति में इनके परिवार का पालन पोषण कैसे होता होगा ? यह भी अपने आप में एक सबूत है,

लगता है कि मीडिया सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। ऐसे विकट समय में आमजन की भावानाएं कहां पर पर्णतयाः समाज व सिस्टम के सामने आ पाती है।

(घ) इसी क्रम में दिनांक 03.04.2023 को विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये सम्बोधन एवं राजस्थान के भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर बंद खानों में चोरी एवं सैंकड़ों की तादाद में अवैद्य खानों के संचालन सम्बन्धित अखबार की कटिंग आपको प्रस्तुत कर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि किस तरह भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है। अनेक अपराधों को जन्म देता है। लोकतंत्र और न्याय के बीच यह भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा रोड़ा है। हमें इनकी जड़ो तक पहुंचना होगा। पता नहीं आजादी के बाद हम भारतीयों की रगों में भ्रष्टाचार रूपी यह मैला खून कहां से प्रवेश कर गया। इन भ्रष्टाचारियों के सामने प्रकृति कोई मायने ही नहीं रखती। इन भ्रष्ट लोक सेवकों की हर नाड़ी में यह मैला खून दौड़ रहा है। आखिर यह लोग सोने के सिक्कों से पेट भरेंगे क्या ? इन्हें किसी अन्न की आवश्यकता नहीं है क्या ? इन भ्रष्ट लोकसेवकों को याद करना चाहिए उन वीर सपूतों को जिन्होंने अपना खून बहा कर हमें आजादी दिलवाई, नहीं तो आज आपका भी यहां पर कोई असितत्व नहीं होता।

मान्यवर भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन अनुसार राजस्थान में अवैद्य खनन पर निष्पादन लेखा परीक्षक रिपोर्ट वर्ष 2022 बिन्दू सं. 08 के कुछ अंश व तालिकाएं, छाया चित्र श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अवैद्य खनन का सर्वे किस प्रकार से किया जाता है। माननीय न्यायालय को तीन–तीन बार गुमराह करने वाले इन जिम्मेदार अधिकारियों को बताया जाये व दिखाया भी जावे।

(ड़) महोदयजी, इसी क्रम में रणधीसर पहाड़ी पर अन्त्योदय योजना के तहत गरीबो को खानें आंवटित हुई ताकि वे भी मुख्य धारा से जुड़ सके लेकिन भ्रष्ट तंत्र के कारण इनका शोषण कर गरीबों का हक छिना गया। इनके नाम से आंवटित खानों को बड़े खनन माफियाओं ने अधिकारियों से सांठ–गांठ कर कुछ अंश देकर नाजायज रूप से चलाया तथा करोड़पति बन गये। अब जब भ्रष्टाचार का यह महाखेल उजागर हो कर न्यायालय के सामने आ चुका है तो इन गरीबों से जांच ऐजेन्सियों को रिकवरी के नाम पर क्या मिलने वाला है ? गरीब व प्रकृति का शोषण तो दोनों हाथों से हुआ है। जांच ऐजेन्सिया कम से कम न्यायालय के समक्ष सुझाव तो रख ही सकती थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजस्थान में खनन क्षेत्र पर मंत्रियों और इनके रिश्तेदारों का अधिकार है। इनकी बराबरी ये गरीब लोग कैसे कर सकते है। अवैद्य खनन का मुख्य कारण ही यह लोग है। प्रधानमंत्री बेचारा अकेला कर ही क्या सकता है ? सारे कुएँ में ही भांग पड़ी हुई है।

(च) राजस्थान सरकार मंत्रियों पर निर्भर है। बेचारा मुख्यमंत्री भी क्या करे, उसका हाथ पकड़ कर लोग चाहे जैसे आदेश करवा लेते है। ऐसा ही एक गैर कानूनी आदेश वर्ष 2022 में रणधीसर पहाड़ी के बकायादारों व अवैद्य खननकर्ताओं के पक्ष में खनन विभाग के अधिकारियों ने जारी करवाया। आदेश के

तहत बकायादार खनन माफियाओं को जुर्माना राशि किस्तों में जमा करवाने की छूट दी गई, ब्याज व शास्ति में ऐमीनेस्टी योजना के तहत छूट प्रदान की गई। यह ऐसा आदेश है जिसमें खनन माफिया को अवैद्य खनन करने की खुली छूट रियायती दरों पर दी गई। रणधीसर पहाड़ी के खनन माफियाओं व खान विभाग के सहायक अभियन्ता, चूरू ने सरकार की इस योजना का जम कर लाभ उठाया तथा नाममात्र की जुर्माना राशि जमा कर अपने आपको अपराध मुक्त कर लिया। यहां अधिकारी व सरकार जानबूझ कर यह भूल गये कि जब किसी खनन क्षेत्र का प्रकरण न्यायालय में लम्बित होता है तो उस क्षेत्र पर ऐमीनेस्टी स्कीम का आदेश लागू नहीं होता। उस क्षेत्र की अवैद्य खनन जुर्माना राशि का निर्धारण न्यायालय आदेशों के अधीन होता है। राज्य सरकार ने अपने आदेश में साफ अंकित किया है कि किसी भी खनन क्षेत्र में अवैद्य खनन सम्बन्धित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है वहां पर यह आदेश निष्प्रभावी रहेगा। ऐसे क्षेत्र में न्यायालय आदेश ही सर्वोपरी होगा। रणधीसर पहाड़ी अवैद्य खनन प्रकरण इस आदेश से पूर्व न्यायालय में पंजीबद्ध हो चुका है। इसके उपरान्त भी न्यायालय को कुछ भी नहीं समझते हुये न्यायालय के समक्ष ही खनन अधिकारियों ने खनन माफियाओं का साथ देते हुये ऐमीनेस्टी स्कीम के तहत अवैद्य खनन पर छूट्टे प्रदान कर दी जो कि सरासर गैर कानूनी है। खनन अधिकारी बार–बार ऐसा क्यों कर रहे है ? क्या इन्हें न्याय प्रणाली का जरा भी ज्ञान नहीं है क्या ? सब कुछ जानते हुये भी अनजान बन कर, जानबूझ कर न्यायालय को धोखे में रख कर बार–बार प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त से छल कर रहे है। इस बिन्दू पर न्यायालय द्वारा अलग से प्रसंज्ञान लिया जाकर दी गई छूटों को निष्प्रभावी किया जाये तथा पूर्ण जुर्माना राशि वसूली करते हुये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जो न्यायालय उचित समझे कानूनी कार्यवाही की जाये।

रणधीसर पहाड़ी के तमाम अवैद्य खनन कर्ताओं ने खनन विभाग के अधिकारियों से सेटिंग कर नाम मात्र का जुर्माना भर कर अपने आपको बेदाग कर लिया तथा एक बार पुनः जुर्मानें में छूट के नाम पर लूट करते हुये सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। जुर्माना, शास्ति, पेनल्टी, दण्ड में छूट लेकर ये आदतन पेशेवर अपराधी कानून को ठेंगा ही दिखायेंगे। ऐसे लोगों का साथ देकर अधिकारी भी बार–बार न्यायालय को गुमराह करते रहेंगे और वास्तविक तथ्य कभी भी न्यायालय के समक्ष नहीं आने देंगे। ऐसी छूट और रियायत केवल रसूखदार व प्रभावशाली लोगों को मिलती है, गरीबों को नहीं, क्योंकि गरीबो को इसका पता ही नहीं होता है। आदतन पंजीकृत अपराधियों व खनन माफियाओं को छूटे व रियायते प्रदान करना कौनसे कानून में लिखा है ? लेकिन रणधीसर पहाड़ी के खनन माफिया तो हर बार ऐसा करते है, खनन विभाग द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिकवरी के आंकड़े साफ तौर पर इस आर्थिक अपराध को उजागर कर रहे है ? किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। खनन माफियाओं पर आपराधिक मुकद्में दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने, जेल भेजने, सम्पति कुर्क करने के स्थान पर प्रकृति व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से खिलवाड़ करने वालों को सरकार व अधिकारियों द्वारा छूट व रियायतें प्रदान कर दण्डित करने की प्रक्रिया में भी खुला भ्रष्टाचार किया गया है। ऐसे में माननीय न्यायायल संज्ञान लेकर सख्त कानूनी कार्यवाही कर प्रकृति से खिलावाड़ करने

वालों को दण्डित कर आमजन को सकारात्मक संदेश देने की कृपा करावे, हम ग्रामीणों की यही मांग है।

(छ) महोदयजी, प्राकृतिक अमूल्य सम्पदा के रक्षक ही जब भक्षक बन जाये तो इसका परिणाम क्या होगा ? इसका परिणाम यह होगा कि पर्यावरण ने जिस आदि मानव को आज यहां तक पहुंचाया है वही पर्यावरण एक दिन इस मानव को अपने कालग्रास में समा लेगा। विकास व सुविधाएं तो सभी को चाहिए परन्तु प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके नहीं, प्रकृति के साथ सन्तुलन बरकरार रख कर सरकार व न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों व निमयों का पालन करते हुये विकास के पथ पर आगे बढ़े तो यह नौबत ही नहीं आती। इस भ्रष्ट तंत्र में बड़े लोगों को प्रकृति, सरकार व न्यायालय का कोई भय ही नहीं है तो भोले भोले लोगों को क्या समझेंगे ?

(ज) महोदय जी, धरातल पर प्राकृतिक सम्पदाओं के संरक्षण व संवर्द्धन का दायित्व निम्न पक्षकारों के पास होता है। (1) ग्राम पंचायत के सरंपच – प्रकृति संरक्षण का दायित्व – हमें पता नहीं ?

(2) ग्राम विकास अधिकारी – प्रकृति संरक्षण का दायित्व – हमें पता नहीं ?

(3) हलका पटवारी – प्रकृति संरक्षण का दायित्व – हमें पता नहीं ?

(4) रेवेन्यू सर्किल अधिकारी (गिरदावर) – प्रकृति संरक्षण का दायित्व – हमें पता नहीं ?

(5) तहसीलदार – प्रकृति संरक्षण का दायित्व – हमें पता नहीं ?

(6) उपखण्ड अधिकारी – प्रकृति संरक्षण का दायित्व – हमें पता नहीं ?

(7) अतिरिक्त जिला कलेक्टर – प्रकृति संरक्षण का दायित्व – हमें पता नहीं ?

(8) जिला कलेक्टर – प्रकृति संरक्षण का दायित्व – हमें पता नहीं ?

(9) थानाधिकारी – प्रकृति संरक्षण का दायित्व – हमें पता नहीं ? रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(10) वृताधिकारी – प्रकृति संरक्षण का दायित्व – हमें पता नहीं ? कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(11) सहायक अभियन्ता खनन, चूरू – प्रकृति संरक्षण का दायित्व – हमें पता नहीं ?

(12) प्रदूषण नियन्त्रण अधिकार, नागौर – प्रदूषण आंकलन का कार्य हमारा नहीं है ?

(13) सार्वजनिक निर्माण विभाग – सानिवि की रिकार्डशुदा जमीन पर अवैद्य खनन हुआ है या नहीं, हमें पता नहीं। शिकायत करने के उपरान्त भी आज तक अपनी भूमि की कोई सुध नहीं ली, कोई जांच नहीं की। प्रकरण न्यायालय विचाराधीन होने के उपरान्त भी अनुमति नहीं लेकर अपने मनमर्जी माफिक अन्य सरकारी भूमि एवं वन विभाग की भूमि पर रोड़ निर्माण कार्य डीएमएफटी बजट से शुरू किया गया है, जो कि न्यायालय की अवमानना सिद्ध होती है। हम ग्रामीणों की शिकायतों के उपरान्त भी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपनी भूमि का सर्वे क्यों नहीं करवाया ? और अन्य सारे विभाग भी गहरी नींद में सोये पड़े है। वन विभाग की जमीन व रेवेन्यू विभाग की जमीन पर सार्वजनिक निर्माण विभाग खुले आम अतिक्रमण कर रहा है। यह भी गहन जांच का विषय है। सानिवि द्वारा अपनी भूमि से इतर जाकर अवैद्य रोड़ बनाये जाने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये।

(14) रेल्वे विभाग – रेल विभाग की भूमि पर अवैद्य खनन हुआ। रेल्वे विभाग की सम्पति कोई भी खाये, कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों यह विभाग तो हाथी है। हम ग्रामीणों ने जोधपुर रेल्वे डीआरएम तक रेल्वे की भूमि खनन माफिया द्वारा खुर्द–बुर्द करने की शिकायत प्रस्तुत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
(15) जिला कलेक्टर – जिला स्तर पर यह जिले के मालिक है। सभी विभागों का पिता है जो धृतराष्ट्र बना हुआ है तथा पुत्र मोह में फंसा हुआ है। पुत्र मोह के कारण किसी की सुन नहीं रहा है। इन्हीं की वजह से आज आपके न्यायालय में सत्य–असत्य का यह महाभारत का युद्ध चल रहा है, देखते है जीत धर्म की होती है या अधर्म की। ऐसे अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में भ्रष्टाचार, लूट डकेती, चोरी, गुण्डाराज, गेंगस्टर, महिला अत्याचार, तस्कर, जुआघर, चकलाघर, हुक्काबार, शराब माफिया, खनन माफिया, अतिक्रमण माफिया अपराध पर अपराध करते रहते है, और जिम्मेदार अधिकारी कहते है कि हमें पता ही नहीं है। शिकायत ही नहीं आई। यह कैसा जवाब है ? आपका कर्तव्य, कार्यप्रणाली फिर क्या है ? जनता को लूटना या चक्कर कटवाना ही एकमात्र कर्तव्य है तो फिर आप इस पद के लिए काबिल नहीं है, इन्हें तुरन्त पद से पदच्युत कर देना चाहिए। क्या गिद्ध की दृष्टि से शिकार छुप सकता है। टुकड़ा नहीं मिलने पर ये आपस में भिड़ मरते है। जनता की गाढी कमाई का हिस्सा जो टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में जमा होता है, पूर्ण कर्तव्य निष्पादन के अभाव में इन्हें वेतन क्यों दिया जाता है ? इस राजकोष पर दो तरफा चोट क्यों ? इन भ्रष्ट अधिकारियों को तो हर माह इन अनैतिक कार्यों के संचालन से वेतन प्रतिमाह बंधी के रूप में मिल जाता है। इन भ्रष्ट अधिकारियों ने आज तक आय से अधिक जो सम्पतियां अर्जित की है उनकी जांच होनी चाहिए। ऐसा होते ही इस महा खनन घोटाले की परते खुल जायेगी।

(झ) महोदयजी, प्रकृति की देन देखिए जहां पहाड़ होंगे उनके चारों ओर बालू मिट्टी के टीले होंगे। इसका प्राकृतिक कारण खनन अभियन्ता, चूरू नहीं समझ सकते, परन्तु हम स्थानीय ग्रामीण जानते है, जब हवा पहाड़ियों से टकराती है और हवा को जाने की जगह नहीं मिलती तो हवाएं पहाड़ी के चारों ओर घुमने लग जाती है तथा एक बवण्डर का रूप धारण कर लेती है। ग्रामीण इसे स्थानीय भाषा में खोळा चलना कहते है। इसका प्रभाव दो–ढाई किलोमीटर में चक्रवाती रूप में रहता है। इसी का कारण है कि पहाड़ी एवं टीलों के बीच एक खाईनुमा (खाळा) दिखाई देता है। इसी के अन्दर इस हवा का चक्रवात रहता है। पहले खेतों की पक्की फसल से अनाज प्राकृतिक हवा के प्रभाव से ही निकाले जाते थे, जिसमें महिनों लग जाते थे। हमारे गांव की रोही में जिस दिन यह खोळा चल जाता तब हम लोग एक दिन में ही सारा अनाज निकाल लेते थे। रणधीसर पहाड़ी के चारों ओर इसी प्रकार प्रकृति प्रदत रेत के टिले होते थे, जिस पर बहुतायत में हरियाली होती थी। अवैद्य खनन के विस्तार से पूरी पहाड़ी की हरियाली नष्ट हो गई और खनन व रेत माफिया की सांठ–गांठ से बालू रेत के टीले शहर व गांवों के प्लाटों की भरती की भेंट चढ़ गये। बालू रेत का अवैद्य खनन कर टीलों को नष्ट करने का यह कुत्सित प्रयास अब भी निरन्तर जारी है। अति प्राचीन होली धोरा अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है। रेत माफिया की बर्बरता का इसका बड़ा प्रमाण नहीं है। इन माफियाओं के तो आम के आम व गुठलियों

के दाम है। एक तरफ तो पत्थरों की आय तथा दूसरी ओर रेत बेच कर चांदी कूट रहे है कोई रोकने वाला नहीं है। रेत की सुजानगढ़ प्रति डम्पर रेट 2500/–, रतनगढ़ प्रति डम्पर रेट 3000/–, छापर–पड़िहारा 1000/–, पंचायत व आस–पास के गांवों में 300 से 600 रूपये प्रति डम्पर की भाव से रेत बिक रही है। अवैद्य खनन के विस्तार हेतु धरती की ऊपरी परत से रेत बेच रहे है नीचे की परत से पत्थर बेच रहे है। यह अवैद्यानिक कार्य यहां वर्षों से चल रहा है। सरकार का पूरा सिस्टम इन माफियाओं के साथ मिल कर चांदी कूट रहा है। पूरा प्रशासन खामोश है।

(त) हमारे पूर्वजों ने अपनी कृषि भूमि में से कुछ भूमियां जोहड़ पायतन एवं गोचर हेतु सरकार को सरेण्डर की थी। इसलिए कि किसानों को स्वच्छ पानी मिले तथा वन्य जीव–गायें इस गोचर भूमि में अपना पेट भरे सके तथा प्यास बुझा सके व खुले में विचरण कर सके। वन्य जीव, पशु–पक्षी, परन्दिें हमारी ग्रामीण संस्कृति का आदि अनादि काल से अभिन्न अंग रहे है। इन सरकारी सम्पतियों, भूमियों व सार्वजनिक स्थानों का रक्षक कौन है ? मेरे अनुमान से तो ग्राम पंचायत प्रशासन, हलका पटवारी, सर्किल इंचार्ज गिरदावर ही इसका रक्षक है। वर्तमान में वास्तविकता यह है कि इनका धणीधोरी कोई नहीं है। उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्णय है कि जोहड़ पायतन एवं गोचर भूमियों की जो स्थिति 1947 में थी उसी स्थिति में उन्हें लाया जाये परन्तु जब रक्षक ही भक्षक बन जाये तो फिर इन सम्पतियों का क्या होगा ? वर्तमान में शायद ही ऐसा कोई गांव या पंचायत है जहां जोहड़ पायतन एवं गोचर भूमियां पर अतिक्रमण नहीं हुआ है। चारों और अतिक्रमण ही अतिक्रमण नजर आ रहे है। यदि उच्चतम न्यायालय ने इन भूमियों की वास्तविक तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर ली जाये तो इन अधिकारियों के हाथ–पांव फूल जायेंगे। जब से उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिये है तब से लेकर अब तक रेवेन्यू अधिकारियों ने अपने स्तर पर सर्वे रिपोर्ट बना कर उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं की। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने वेतन से मतलब है, पशु–पक्षी और गौवंश जाये भाड़ में। आज स्थिति यह है कि पशुधन व परन्दिों के बैठने तक की जगह नहीं है। गांवों व शहरों की गलियों में और रोड़ पर विचरण करते फिर रहे है जानवर और भूख से त्रस्त होकर कचरा निगल रहे है। अंधा–धुंध विकास की होड़ में इनके प्राकृतिक आवास उजड़ गये और सभी जीव–जन्तु इंसानों स्वार्थों की भेंट चढ़ कर दर–दर की ठोकरे खाते फिर रहे है, इनकी कई प्रजातियां तो लुप्त हो चुकी है तथा कई प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है। प्रकृति में मानव के अवांछनीय हस्तक्षेप को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जायेगी। प्रकृति के संरक्षण के प्रति कोई भी सरकारी नुमाईन्दा एक प्रतिशत भी अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन कर देता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता।

(थ) ज्यादा तो हम ग्रामीण नही जानते लेकिन मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि जिस पंचायत में खनन होता है उसमें 2 प्रतिशत राशि पंचायत विकास हेतु खर्च होनी चाहिए और सरकार ने यह व्यवस्था लागू भी कर रखी है परन्तु विडम्बना देखिए कि इस हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की एक

जिला स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है। इस कमेटी में सहायक खनिज अभियन्ता चूरू भी शामिल है पर पंचायत का कोई लेना–देना नहीं है, केवल दिखावे के नाम पर सरंपच को इस कमेटी में लिया जाता है बाकी स्थानीय पंचायत का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ऐसी विकट स्थिति में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्या मायने रह जाते है ? अवैद्य खनन, प्रदूषण, सामाजिक–आर्थिक अपराधों का दंश तो ग्रामीण झेलते है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जिला कलेक्टर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा अवांछनीय दबाव बना कर हमारी पंचायत के पैसे अन्य क्षेत्र में खर्च करवा रहे है। बिना मूलभूत सुविधाओं वाले गांव के ग्रामीण तो बर्बादी का सामना करते है, खनन क्षेत्र के लोग अपना जीवन दांव पर लगाते है और विकास का पैसा कोई ओर ले जाता है, क्या सहायक खनिज अभियन्ता, चूरू अंधा है। हमारी पंचायत में रोड़ नहीं, पानी निकासी के लिए नालियां नहीं, कचरा संग्रहण हेतु कोई व्यवस्था नहीं, प्रदूषण नियन्त्रण का कोई उपाय नहीं, पर्यावरण सन्तुलन का कोई उपाय नहीं, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं, स्कूलों में बच्चों के लिए कोई मूलभूत सुविधा नहीं, गौचर एवं जोहड़ पायतन की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं, आये दिन सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि पर अतिक्रमण हो रहे है। अब जब प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष है तो सहायक खनिज अभियन्ता, चूरू अपने अपराधों पर पर्दा डालने व साहूकार बनने के लिए डीएमएफटी कोष से ग्राम पंचायत रणधीसर के विकास हेतु आदेश निकाल कर न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। इससे क्या सिद्ध करना चाहते है ?

(द) मुझ प्रार्थी की उम्र 66 वर्ष हो चली है। मैं रणधीसर गांव का जाया–जन्मा हूँ। मेरे स्वयं द्वारा इस पहाड़ी पर मवेशी चराये हुये है। इसलिए ये लोग तो आपको मुगालते में रख सकते है, परन्तु मुझे धोखा नहीं दे सकते है। रणधीसर पहाड़ी की भौगोलिक स्थिति मैं पिछले 50 सालों से भली प्रकार जानता हूँ। गधों पर पत्थर लादकर धंधा करने वालों को अपनी आंखों से करोड़पति होते हुये देखा है। हजारों की तादाद में ग्रामीणों को मरते हुये देखा है। कितने ही लोगों अपाहिज होकर शेष जिन्दगी को कोसते हुये देखा है। यह खनन अधिकारियों से सांठ–गांठ करके हम ग्रामीणों की आंखों में धूल झोंकना चाहते है लेकिन मुझे न्यायपालिका में पूर्ण आस्था है कि दूध का दूध पानी का पानी एक दिन अवश्य होगा।

(ध) खनन माफिया व अधिकारियों को यह पता नहीं है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है लेकिन अन्ततः झूठ पकड़ा ही जाता है। वर्तमान में ऐसे लोगों का समय है, इसलिए झूठे प्रपगण्डे अपना कर भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे न्यायाधीश महोदय की आंखों में धूल झोंकने का नाकाम प्रयास कर रहे है, इन्हें यह पता नहीं है कि न्यायाधीश महोदय के दो नहीं चार आंखें होती है और यदि माननीय पीठ के न्यायाधीश महोदय ने रणधीसर पहाड़ी का स्वयं आकर निरीक्षण कर लिया तो कई अधिकारियों की बोलती बंद हो जायेगी। इन खनन मायिाओं व अधिकारियों का कहना है कि रणधीसर पहाड़ी की जमीन पथरीली है इसलिए पेड़–पौधे विकसित नहीं हो रहे है, हमने केन्द्र सरकार को अवगत कराया और उन्होंने माना। आपने बोला और उन्होंने मान लिया इससे यह साबित होता है कि आपके व मंत्रियों के बीच क्या सम्बन्ध है। एक बार जीत गये, मंत्री बन गये, गई पांच साल की।

आगे जीतेंगे या नहीं किसने देखा है, जितना पेट भरना है भर लेते है प्रकृति व प्राकृतिक परिवेश की चिन्ता करने वाला कोई नहीं है।

(न) राजस्थान राज्य से अभी तक माननीय न्यायालय द्वारा रणधीसर पहाड़ी की वास्तविक स्थिति जांचने के लिए जो टीमें गठित हुई उन्होंने हम ग्रामीणों को बतलाना भी उचित नहीं समझा। इसलिए इनका तो हमें ऐसा ही विश्वास था। पुनः न्यायालय के आदेश पर जब केन्द्र सरकार की सर्वे टीम गठित हुई तो हमें विश्वास हुआ कि अब सही सर्वे होगा किन्तु नतीजा फिर वही ढाक के तीन पात वाला साबित हुआ। केन्द्रीय सर्वे दल पर अविश्वास तब हुआ जब इन्होंने आपके आदेश के एक माह बाद आकर सर्वे किया। हम ग्रामीणों ने इस टीम को पंचायत भवन में आकर ग्रामीणों की सुनवाई करने तथा पक्ष सुनने का कहा तो इन्होंने इंकार कर दिया, ऐसी स्थिति में हमें ही इस सर्वे टीम के पास जाना पड़ा और एक–एक बिन्दू नोट करवाया। अविश्वास का तिसरा कारण 3 माह बाद रिपोर्ट न्यायालय में पेश करना। रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद पता चला कि यह लोग भी लकीर के फकीर बन गये। हमारे द्वारा सुझाये गये बिन्दू तो दूर की बात है अपने ही कार्यालय द्वारा जारी आदेशों में अंकित शर्तों कि कितनी घोर अवहेलना हुई इस बिन्दू पर कोई भी सुझाव या टिप्पणी न्यायालय में पेश नहीं कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों को सीधे–साधे समझते है परन्तु अधिकारियों को न्यायालय की गरिमा का ध्यान तो रखना चाहिए था।

(प) महोदयजी हम ग्रामीणों ने केन्द्रीय सर्वे दल के समक्ष निम्न बिन्दुओं एवं सुझावों पर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश करने का निवेदन किया था –

1. शेष अवशेष बची रणधीसर पहाड़ी की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी से माननीय न्यायालय को वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाये लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
2. शेष अवशेष बची रणधीसर पहाड़ी पर खनन की पुनः अनुमति मिलती है तो शेष भाग को सुरक्षित किस प्रकार किया जायेगा, इससे सम्बन्धित सुझाव न्यायालय में प्रस्तुत किये जाये परन्तु ऐसा नहीं हुआ।
3. यदि रणधीसर पहाड़ी की वर्तमान स्थिति को देखते हुये यहां पर कोई अनहोनी या त्रास्दी घटित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा ? इस बाबत न्यायालय को सुझाव दिया जाये लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
4. होली धोरा पर आवंटित खनन पट्टे को निरस्त करने का सुझाव शामिल किया जाये एवं न्यायालय में अनुशंषा की जाये पर ऐसा नहीं किया गया।
5. पहाड़ी की तलहटी में स्थित भोलेनाथजी की समाधि एवं धर्मशाला, नीचे से ऊपर मां जगदम्बा के मंदिर जाने वाली सीढ़ियों के सुरक्षात्मक उत्तर एवं दक्षिण दिशा में आवंटित खनन पट्टों को हमेशा के लिए बंद करवाये जाने का सुझाव न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये ताकि श्रद्धालुओं व दर्शनार्थियों का जीवन सुरक्षित हो सके परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

6. मां जगदम्बा मंदिर जाने वाले आम रास्ते को खनन माफिया घीसाराम खटीक द्वारा खुर्द–बुर्द कर बीच रास्ते में क्रेशर मशीन स्थापित कर ली गई का अतिक्रमण तुरन्त प्रभाव से हटा कर रास्ते को पुनः सुगम बनाये जाने का सुझाव न्यायालय में पेश किया जाये लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
7. सहायक खनिज अभियन्ता, चूरू के आदेशानुसार वर्षों से बंद पड़ी खानों की पुनः भरपाई यदि वर्तमान में भरपाई न हो तो चारों और 4 फीट ऊँची दीवार बनवा कर पशुधन एवं वन्यजीवों के जीवन को सुरक्षित रखने हेतु सुझाव न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये परन्तु ऐसा नहीं किया गया।
8. खनन माफियाओं द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टों से कहीं अधिक बाहर जाकर विस्तार एवं गहराई में जाकर अवैद्य खनन किया है, का सर्वे निगरानी प्रणाली (एमएसएस) अक्टूबर 2016 के मुताबिक किया जाकर तुलनात्मक अन्तरमान राशि निकाली जाकर जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाये लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
9. रणधीसर पहाड़ी पर खनन माफियाओं ने दो तरफा फायदा उठाया है इनके तो चांदी ही चांदी है। पहाड़ी के चारों ओर पर्यावरण की अपूरणीय क्षति कारित करते हुये बालू रेत की टीले ही गायब कर दिये। पता नहीं इस कार्य की स्वीकृति किसने दी यदि स्वीकृति प्राप्त नहीं की तो फिर प्रमाणित है कि बालू रेत का भी अवैद्य खनन व परिवहन हुआ है और यह सिलसिला पिछले 50 सालों से सतत रूप से चलता आ रहा है। क्या मृदा का क्षरण अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यदि ये अपराध है तो इसकी भी जांच कर पिछले 50 वर्षों में सरकार एवं क्षेत्रवासियों एवं पर्यावरण का कितना नुकसान इन जिम्मेदारों ने कारित किया है इसकी भी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाये लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
10. प्रकृति व पर्यावरण का सन्तुलन बनाये रखने के लिए केन्द्रीय सरकार के आदेशों में अंकित शर्तों के अनुसार विगत 50 वर्षों में कितने पेड़–पौधे लगाये गये तथा कितने विकसित होकर पेड़ बन चुके है कि वर्षवार गणना कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाये परन्तु ऐसा नहीं किया गया।
11. रणधीसर पहाड़ी पर एक छोर से दूसरे छोर तक सारी खाने समान है किसकी खान कहां है ? इसका कोई पता ही नहीं चल रहा है। न कोई पीलर है और ना कोई दीवार है। इस विषय पर स्वीकृत खान व वर्तमान खान का क्षेत्रफल लीजवार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावे परन्तु ऐसा नहीं किया गया।
12. सहायक खनिज अभियन्ता, चूरू के आदेश में साफ अंकित है कि 42 खनन पट्टे रणधीसर पहाड़ी की तलहटी में आंवटित किये गये थे तो फिर ऊपर की पहाड़िया गायब कैसे हुई ? ऊपर के पहाड़ खुर्द–बुर्द है, इस अवैद्य खनन की जांच किस प्रकार करेंगे या करवायेंगे, अपना सुझाव न्यायालय में पेश करे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

13. अन्त्योदय योजना के तहत गरीबों को आंवटित खनन पट्टों में अवैद्य खनन होकर गरीबों के साथ अत्याचार हुआ है, से सम्बन्धित रिपोर्ट व सुझाव न्यायालय में प्रस्तुत किये जाये लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
14. सरकारी, सानिवि एवं रेल्वे की भूमि में अवैद्य खनन एवं अतिक्रमण सम्बन्धी जांच कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाये लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
15. सरकारी भूमि, वन भूमि में अतिक्रमण कर क्रेशर मशीनें स्थापित कर संचालन किया जा रहा है के विरूद्ध कार्यवाही करने का सुझाव न्यायालय एवं जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाये लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
16. केन्द्रीय आदेशों में दी गई शर्तों अनुसार अति संवेदनशील एरिया में कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा। यहां पर श्रमिक शिविर एवं खनन माफियाओं के मकान एवं सरकारी जमीन पर क्रेशर स्थापित हो चुके है, को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करवाये जाने का सुझाव माननीय न्यायालय में पेश किया जाये लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
17. आबादी क्षेत्र, स्कूल, धार्मिक स्थल के पास ही संचालित अवैद्य खनन ब्लास्ट, क्रेशर मशीनों का संचालन निर्धारित खनन व क्रेशर संचालन नियमानुसार निर्धारित दूरी में आने वाली सभी खनन गतिविधियों को बंद करने का सुझाव न्यायालय में पेश किया जाये परन्तु ऐसा नहीं किया गया।
18. सरकार द्वारा निर्धारित नियमों व दूरी से बाहर जो क्रेशर संचालित हो रहे है उन्हें सांय 6.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक बंद रखने का सुझाव न्यायालय में पेश किया जाये लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
19. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु पुख्ता इंतजाम करवाये जाने का सुझाव न्यायालय में पेश करे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
20. भविष्य में रणधीसर पहाड़ी क्षेत्र के अन्दर पुनः किसी प्रकार से बालू मिट्टी का दोहन न हो, जरूरत पड़ने पर सरकार से अनुमति ली जाये। कोई भी बालू मिट्टी से भरा डम्पर इस क्षेत्र में नजर आता है तो किस प्रकार की कार्यवाही होगी का सुझाव न्यायालय में पेश किया जाये लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
21. सहायक खनिज अभियन्ता, चूरू के आदेशानुसार खान सुरक्षा निदेशालय, अजमेर द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/ खान प्रबन्धक उपस्थित नहीं मिले, उनको पूछा जाये कि आपको किस अवधि में ये लोग उपस्थित मिले। इस बिन्दू पर बारीकी से जांच कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाये लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
22. रणधीसर ग्राम से धातरी, सिमसिया, कस्बा राजलदेसर एवं ग्रामीणों की कृषि भूमि को जोड़ने वाले आम रास्ते, कटाणी रास्ते को खनन माफिया हरिराम कीलका एवं सहायक खनिज अभियन्ता, चूरू ने मिल कर खुर्द–बुर्द कर दिया, इसकी जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाये तथा ग्रामीणों के सुगम आवागमन हेतु रास्ते का सुझाव न्यायालय को सुझाया जाये लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

23. पहाड़ी पर संचालित क्रेशर मशीनों के चारों ओर निर्धारित नीति नियमानुसार दिवारे बनवाई जाकर चारों ओर राउण्डर पद्धति से हरित पट्टी विकसित करवाये जाने सम्बन्धित सुझाव न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

24. क्रेशर मशीनों पर फव्वारा पद्धति विकसित करवाई जाये एवं क्रेशर प्लाण्ट में डामरीकरण करवाया जाने सम्बन्धी सुझाव में न्यायालय में पेश किया जाये लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

25. रणधीसर पहाड़ी खनन क्षेत्र की पूरी निगरानी एवं सुरक्षा हेतु अपना सुझाव न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये ताकि भविष्य में यहां पर पुनः यह कृत्य नहीं हो लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

महोदयजी,

हम ग्रामीणों ने उपरोक्त बिन्दू केन्द्रीय जांच दल को उपलब्ध करवाये तथा सुझाये। केन्द्रीय सर्वे द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इन्होंने हमारे सुझावों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया तथा जांच में शामिल ही नहीं किया। ग्रामीणों के सुलगते सवाल तो आखिर सवाल ही बन कर रह गये। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा यहां शर्तोंधीन खनन स्वीकृति दी गई थी, कम से कम सर्वे दल द्वारा उन सरकारी शर्तों पर गौर कर लेना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया जाकर इन्हीं के सरकारी आदेशों की खुले आम धज्जियां उड़ाई गई है। कम से कम इन सरकारी शर्तों, आदेशों के सम्बन्ध में तो जांच रिपोर्ट में कुछ लिखना था। इन अधिकारियों को थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं आई कि हम ये रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत कर रहे है।

यदि रणधीसर पहाड़ी पर सही हिसाब से और माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार तकनीकी निगरानी प्रणाली (एम.एस.एस.) अक्टूबर 2016 के अनुसार मा.इलोरवाप.रिक्षक आई.टी. से सर्वे किया जाये तो कम से कम एक सप्ताह का समय लगेगा। तभी इस अवैद्य खनन के गोरखधंधे का असली रूप सामने आयेगा तथा यह भी सामने आयेगा कि इस अवैद्य खनन में कौन–कौन कितना संलिप्त रहा। तीन जांच ऐजेन्सियों के अधिकारियों ने सिवाय खाना पूर्ति के कुछ नहीं किया। सरकारी खर्च पर घुमना–फिरना हो गया और घर बैठे ही आवभगत हो गई। खान विभाग व वन विभाग के अधिकारी वर्ष 1999 से अपने आदेशों में स्वयं ही अंकित कर रहे है कि यहां पर अवैद्य खनन हो रहा है और केवल जुर्माना–शास्तियां लगा कर इतिश्री की जाती रही है। ऐसे में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृतियां लेने का क्या औचित्य है ? इनको सरकार से खनन अनुमति लिया जाना कहां आवश्यक है, खनन माफिया जितना चाहे मर्जी से खनन कर सकते है और जुर्माना–शास्तियां चुका कर अवैद्य खनन को वैद्य कर सकते है। जांच ऐजेन्सियों के अधिकारियों ने किसी भी सरकारी दस्तावेज का अध्ययन किये बिना ही सिर्फ और सिर्फ पीछे देखों आगे चलों वाली नीति का अनुसरण किया।

हम ग्रामीण आपको ज्यादा क्या लिख सकते है, हम तो भोले–भाले सीधे ग्रामीण है। हम ग्रामीण जो भी लिख रहे है हकीकत लिख रहे है। हम रणधीसर गांव के जाये–जन्में है। हमने हमारी आंखों से रणधीसर पहाड़ी की प्राकृतिक छटा से लेकर विनाश तक सफर करीब से देखा है।

मान्यवर,

मैं इन अधिकारियों को किस रूप में परिभाषित करूं, यह लोग बार–बार गलती पर गलती कर रहे है। न्यायालय की गरिमा एवं न्याय प्रक्रिया को ही ताक पर रख कर बार–बार गलतियां कर रहे है। जब प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है तो उस प्रकरण से जुड़े समस्त क्षेत्र की सम्पूर्ण बागडोर न्यायालय के अधीन होती है जब तक की न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता। वह क्षेत्र यथा स्थिति के समान रहता है। परन्तु खनन माफियाओं पर खनन विभाग द्वारा अवैद्य खनन के चलते एक बारगी आनन–फानन में लगाई गई तात्कालिक जुर्माना, शास्ति व पेनल्टी राशि में भी अधिकारी भ्रष्टाचार का खुला खेल कर ऐमीनेस्टी योजना के तहत दण्ड में भी छूट प्रदान कर रहे है। सरकारी डीएमएफटी कोष से रणधीसर पहाड़ी पर सड़क का निर्माण कर रहे है जबकि सानिवि की रोड़ की जमीन तो अवैद्य खनन की भेंट चढ़ चुकी है। वर्तमान में रणधीसर पहाड़ी का सही व वैज्ञानिक तकनीक से सर्वे भी नहीं हुआ है। यदि रोड़ का निर्माण पूर्ण हो गया तथा जांच में भूमि वन विभाग या अन्य सरकारी विभाग की पाई गई तो फिर एक अतिक्रमण का प्रकरण बनेगा लेकिन तब तक राजकोष का दुरूपयोग हो चुका होगा। स्कूलों में डीएमएफटी कोष से कमरों का निर्माण करवा रहे है यह सब अब क्यों ? अब ये अधिकारी क्या साबित करना चाहते है ? न्यायालय में लम्बित प्रकरण में न्यायालय की अनुमति के बिना सड़क निर्माण होना फिर से जांच का बिन्दू बन जायेगा।

न्यायालय प्रजातान्त्रिक सरकारों की जड़े हिला कर रख देता है, परन्तु पता नहीं यह खान व भू विज्ञान विभाग, राजस्थान के अधिकारी किस धातु के बने है। इनको चाहे कितना भी तपा लो लेकिन ये तपते ही नहीं है। इन पर कोई भी चोट काम ही नहीं करती है। इसलिए इन ठोस धातु से बने हुये खनन अधिकारियों को तपाने के लिए अब एक मात्र उपाय न्यायालय द्वारा चोट मारने से ही संभव है, शायद ये अधिकारी सच्चाई बाहर लाये तथा वास्तविक तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

अतः प्रार्थना पत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र में अंकित बिंदूओं का अवलोकन फरमाया जाये। मन ग्रार्थी को इनकी करतूतों को सामने लाने के लिए हर तारीख पेशी पर एक प्रार्थना पत्र आपकी सेवा में पेश करना ही पड़ता है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि खनन अधिकारियों व वकीलों के इस गठजोड़ ने न्यायालय को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मान्यवर प्रकरण न्यायालय विचाराधीन होने के पश्चात ये लोग हर तारीख पेशी पर किसी न किसी तरह न्यायालय को गुमराह करने की चेष्टा कर रहे है। न्यायालय में साहूकार बनने के लिए ऐमीनेस्टी स्कीम के तहत जो छूटें प्रदान कर रिकवरी, वसूली का जवाब पेश कर रहे है, इन्हें यह भी पता नहीं है कि आप न्यायालय की अवमानना कर रहे है। आपको किसने अधिकार दिया कि आप अपने स्तर पर दोषी खनन धारकों को जुर्मान व रिकवरी में ऐमीनेस्टी स्कीम के तहत छूट प्रदान करे। यह मामला न्यायालय विचाराधीन है, रणधीसर पहाड़ी की समस्त लीजें व खनन धारक इसकी जद में आते है।

इनकी जुर्माना राशि में छूट का निर्णय न्यायालय करेगा, यह सारा क्षेत्राधिकार न्यायालय का है। इसके उपरान्त भी अधिकारियों ने दोषी खनन धारकों को रिकवरी में छूटें प्रदान कर न्यायालय व प्रकृति के साथ तो धोखा किया ही है साथ ही अपनी राजकीय मार्यादा का भी घोर उल्घंन किया है।

दिनांक [redacted]

प्रार्थी

मेघसिंह

मेघसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपुरोहित
निवासी ग्राम – रणधीसर
तहसील – सुजानगढ़, जिला–चूरू
राजस्थान – 331505
मो. 9468566124
एवं ग्रामीण

संलग्न :–

1. प्रार्थना पत्र पृष्ठ – 13 + हस्त लिखित – 5 = 18
2. राजस्थान पत्रिका संस्करण बीकानेर की प्रतियां कुल 3 पृष्ठ + 1 = 4
3. भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन वर्ष 2022 बिन्दू संख्या 8 के कुछ अंश कुल पृष्ठ 30

(4) आदेश राजस्थान सरकार खान एवं पेट्रोलियम विभाग दिनांक :- 29-8-2022 = 3

(5) रणधीसर पहाड़ी जाने वाली रोड एवं रेलवे किशमीन अवैध अतिक्रमण एवं अवैध खनन के मेन्टर चढ़ गई। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है/ अवैध खनन की जांच भी अभी अधूरी है/ ऐसी परिस्थिति में अब वर्तमान में डीएमएफटी कोष से रोड का निर्माण क्यों/ रोकने हेतु अधिकारियों को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों की फोटो प्रतियां = 11

योग = पृष्ठ – 66

मान्यवर

1 (i) न्यायालय द्वारा तीन तीन बार जाँच एजेंसियों को अवैध खनन की जाँच हेतु नियुक्त किया और भी हाथ में नहीं पाता।

(ii) आरटन सरकार को आर्डर सहा तरवा पारदर्शक एजेंसी से इस अवैध खनन कि जाँच करवाई जाय पानी का पानी और दूध का दूध हो जायेगा।

(iii) इस ऑडिट जाँच एजेंसी कि रिपोर्ट आने के पश्चात इन तीनों जाँच एजेंसियों के नियुक्त अधिकारी एवं लोकल प्रशासनिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण एजेंसी एवं कार्यकारी एजेंसी के अधिकारी तथा खनन माफियों से मिलकर एक षड्यंत्रकारी तरीके से सब घटक षड्यंत्र रचकर तीन तीन बार झूठी (मिथ्या) कूटरचित दस्तावेज तैयार कर न्यायालय में पेश कर जुर्म धारा 420, 467, 468, 471, 120 B IPC का अपराध करते हुए न्यायालय को गुमराह किया, समय बरबाद किया, न्यायालय आदेशों कि अवहेलना कर अवमानना कि है/इस षड्यंत्र में जो जो सम्मिलित पाये जाने वालों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्यवाही करवाई जाय।

(2) (i) रतनाथसर पहाड़ी पर रोड निर्माण अब क्यों:- डीएमएफटी कोष इतने वर्ष क्या कागज पर दिया हुआ था।

(ii) अब तक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है रोड एवं रेलवे कि जमीन अवैध खनन कि भेंट चढ़ गई। जाँच अभी शेष है वर्तमान जो रोड का निर्माण हो रहा है वह भी अवैध है या तो वह जमीन वन विभाग कि है या रेलवे कि। हम लोगों ने जाँच एवं बंद करवाने के लिए बहुत प्रयास किया परन्तु नहीं माने

न्यायालय से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की और अपराध पर अपराध किये जा रहे हैं। इसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है वे स्वयं ही न्यायालय में साहूकार बनने हेतु जवाब प्रस्तुत कर रहे हैं।

(3) एमनेस्टी स्कीम अब क्यों! - जब प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन में आया तब अपनी खाल बचाने हेतु कितनी जल्दी यह योजना राज्य सरकार से लॉन्च करवाकर साहूकार बनने के लिए इस योजना छूट का लाभ उठाते हुए रोक जो भी राशि बनी तुरन्त फुरत में भरवाकर साहूकार बनने हेतु जवाब न्यायालय में प्रस्तुत किया। इन्हे पता होना चाहिए कि जब प्रकरण न्यायालय प्रसंज्ञान में है तो यह स्कीम लागू नहीं होती है। फिर भी अपराध पर अपराध किये जा रहे हैं इन की सांठ गांठ तो देखिये कि इनके आगे सरकार भी नतमस्तक है

4 (a) क्रेशर मशीनों का संचालन आबादी क्षेत्र से कितनी दूर :- इस सम्बन्ध में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नागौर को कितना ही पत्राचार किया परन्तु ढाक के वही तीन पात आज तक पेमाईश नहीं करवाई गई तो नियम होता होगा कि आबादी क्षेत्र, स्कूल, धार्मिक स्थल से कितनी दूरी पर यह क्रेशर मशीनें स्थापित होनी चाहिए और अन्दर आने वाली मशीनों को हटानी चाहिए। यह आधिकारी साहेब जनता का क्यों खून चूसना चाह रहे हैं आखिर वे भी एक मानव है क्या एक मानव दूसरे मानव को मारने पर उतारू है लगता तो ऐसा ही है इनका हित प्रभावित नहीं होना चाहिए।

PTO

लगातार

(3)

(ii) रनाधीसर पहाड़ी से सहेल 30-35 km कि दूरी पर लोड़सर पहाड़ी पर संचालन होने वाली क्रेशर मशीनों का समय 6.pm से अगले दिन 6.am तक बन्द रहती है कार्यकारी एजेंसिया नहीं है यह दोहरा कानून कहां से आया हो पता नहीं है और वर्तमान रनाधीसर पहाड़ी पर खनन गतिविधियां बन्द हो परन्तु लोड़सर पहाड़ी से इतना माल यहां आकर यहां कि क्रेशर मशीनों का 24 घण्टे संचालन हो रहा है इस ध्वनी प्रदूषण से यहां के बाशिन्दों बच्चों, महिलाएं कि रातों कि नींद हराम हो रही है क्या हमें यहां पर सुकूनमय नींद लेने का भी अधिकार नहीं है मान्यवर इस बिन्दु पर भी इस नागरिक पेशी पर प्रश्नांकन किया जाकर जन से जवाब तलब किया जाय।

(5) सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड रतनगढ़ :- PWD के अधिकारियों को बार बार लिखा गया कि आपके अधीन रोड़ जमीन अवैध खनन के चली गई आप अपने अधीन आने वाली रोड़ जमीन कि पैमाइश करवाई जाकर जिन्होंने PWD की जमीन पर अवैध खनन किया है पर कानूनी कार्यवाई करवाई जाय परन्तु चिकने घड़े पर छांट लगे तो इन अधिकारियों पर लगे। कोई कार्यवाई नहीं हुई और आज अन्य विभागों कि भूमी पर अवैध रोड़ का निर्माण हो रहा है वन विभाग एवं रेवन्यू विभाग भी मौन पड़े है इनको कौन जगाये। और किस प्रकार जगाये कुम्भकरण तो जलेबी की सुगन्ध से जग गया था परन्तु इनको जगाने का कारण अब तक पता नहीं चला है लगता है रुपयों कि माला पहनानी पड़ेगी

P.T.O

(6) रेलवे विभाग की जमीन :- यह विभाग तो एक हाथी जैसा है इनसे कोई स्वार्थ क्या फर्क पड़ने वाला है इस विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण एवं अवैध खनन की मार यह झाड़ी किनारा पहुँचाते हैं इस विभागों के अधिकारियों के पास यह खनन माफिया पहुँच जाते हैं डर तो इनसे भी लगा रहा की कहीं जेल जाना न पड़ जाए

(7) जिला कलेक्टर :- जिला कलेक्टर जिला के मालिक होता है उनसे भी हम लोगों ने बहुत लिखा परन्तु कोई लाभ नहीं मिला। इनके पास कितना समय रहा है कि कोई गाँव की सुने। वे तो सरकार एवं जन प्रतिनिधियों के चमचे हैं इनकी सुनते हमारी क्या सुनेगा। इसलिए इनसे न्याय की उम्मीद हम लोग छोड़ चुके हैं। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है।

(8) प्रभावित परिवेश :- औचित्य सामने के न्यायालय के भय से यहां के खनन माफियाओं ने कुछ पेड़ पौधे यहां पर लगाये गये। परन्तु इन पेड़ पौधों कि वर्तमान स्थिति देखी जाए तो 75% प्रतिशत देखरेख एवं पानी के अभाव में मर चुके हैं यहां के खनन माफिया के स्वार्थ हो इनसे किसी प्रकार का किसी से लगाव नहीं है कारण की इनकी सारी डंपर मशीनें तो लगी नहीं है पास ही लोडर

PTO

सामान्य

पहाड़ी से इतना माल लाकर यहां पर पत्थर बनाकर बेचने को रनाधीसर पहाड़ी के नाम से और दूसरा दिखाना रायल्टी लोगों से ऐंठने की बदमाश यहा के रमनन साथियों का ध्यान छोड़कर पहाड़ी मे और कंडीशन है रनाधीसर पहाड़ी पर के लोग आस छोड़ चुके है इसलिए अब इस रनाधीसर पहाड़ी की और किसी का ध्यान नहीं है इनका कहना है कि बहली गांवों में मिलना हाथ धोया अलग ही अंदर है अब यहां पर क्या रहा है इन्हे प्रयावरण से कोई लेना देना नहीं है पिछले 50 वर्षों से भी इन लोगों ने प्रयावरण का इस्तेमाल किया है कि सरकार अब जरूर नहीं है और यही तो हालात यहां खोदकर पहाड़ी पर कर रहे है ऐसा सुनने में आया है

निवेदक —

प्रार्थी

मेघसिंह

मेघसिंह S/O नवदौलसिंह राव पुरोहित
ग्राम रनाधीसर तह० सुजानगढ़
जिला चूरू (राज०)
94685-66124

पत्रिका {राजस्थान} RAJASTHAN

राजस्थान पत्रिका
बीकानेर, रविवार, 02 अप्रेल 2023

SUNDAY
patrika.com

02-04-2023 पत्रिका समाचार बीकानेर

पत्रिका ने खनिज विभाग को दी जानकारी तो मचा हड़कम्प : चुनाई पत्थर की समोड़ी खदान से रवन्ना का खेल, मौके पर खान में भरा मिला पानी

बंद खदान में घालमेल आठ दिन में कटे 4755 रवन्ना, 52 वाहनों से ले गए 1.18 लाख मीट्रिक टन पत्थर

पत्रिका एक्सपोज

सुरेश जैन
patrika.com

भीलवाड़ा. जिले में जारी अवैध खनन के बीच बंद खदान से रवन्ना के नाम पर खेल का खुलासा हुआ है। आठ दिन में एक बंद खदान से 4755 रवन्ना जारी किए गए। 52 वाहनों ने कई चक्कर लगा 1.18 लाख मीट्रिक टन पत्थर निकालकर दूसरी जगह पहुंचा दिया गया। राजस्थान पत्रिका ने खेनिज अधिकारियों को इस खेल की जानकारी दी तो विभाग में हड़कंप मच गया।

उल्लेखनीय है कि भीलवाड़ा के दरीबा व समोड़ी में चुनाई पत्थर की 100 से अधिक खदानें अवैध चल रही हैं। प्रतिदिन सैकड़ों वाहन माल ले जा रहे हैं।

पत्रिका ने समोड़ी स्थित माइनिंग लीज संख्या 59-1996 को मौके पर देखा तो खदान में पानी भरा था। वहां एक भी वाहन नहीं था। ना किसी वाहन के आने-जाने के निशान थे। एक कम्पनी के मलबे से पत्थर ले जाने वाले वाहन चालकों का कहना था कि यह खदान लम्बे अर्से से बंद है। चौंकाने वाली बात है कि 22 से 29 मार्च यानी आठ दिन में इस खदान के 4755 रवन्ना जारी हुए। इससे 1 लाख 18 हजार 767 मीट्रिक टन पत्थर निकालना बताया गया। औसतन रोजाना करीब 600 रवन्ना काटे गए। रवन्ना समोड़ी के ही एक क्रेशर के नाम से जारी बताए हैं।

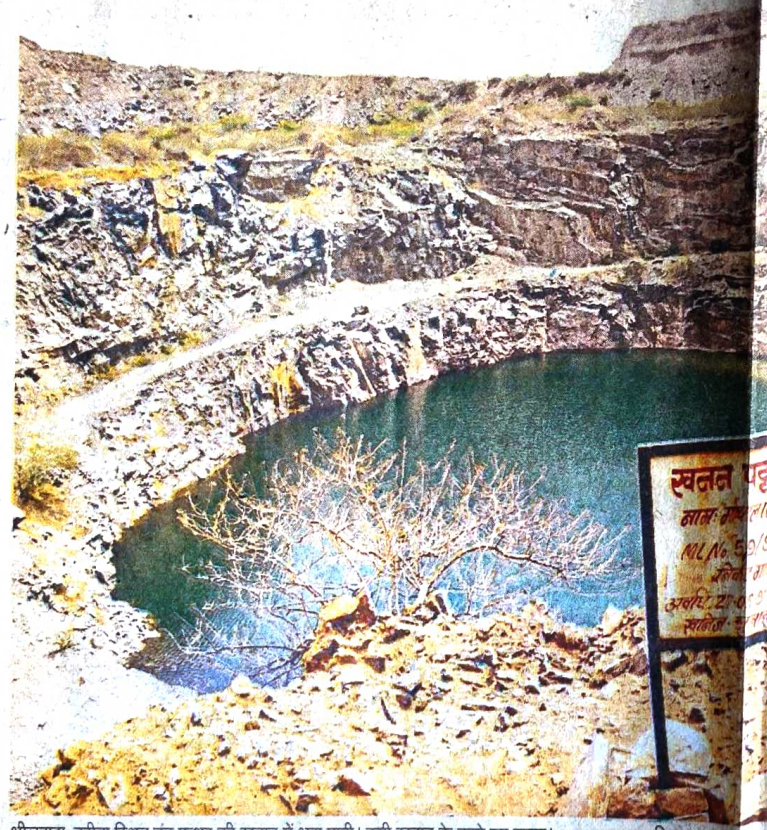

भीलवाड़ा. दरीबा स्थित बंद पत्थर की खदान में भरा पानी। इसी खदान के काटे गए रवन्ना। पत्रिका

10 गुना के हिसाब से बनती है 4.50 करोड़ रुपए की पेनल्टी

विभाग का मानना है कि फर्जी रवन्ना से रॉयल्टी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अवैध खनन को सही साबित करने के लिए खेल खेला गया। बंद खदान से माल बताना अवैध खनन माना जाएगा। चुनाई पत्थर की रॉयल्टी 39 रुपए प्रति टन है। नियम तोड़ने पर दस गुना पेनल्टी का प्रावधान है। इस हिसाब से 1.18 लाख टन का लगभग 4.50 करोड़ रुपए जुर्माना बनता है।

जांच करा रहे हैं...

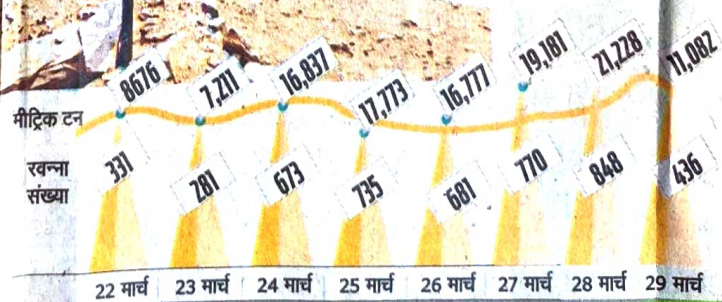

मामले की जानकारी मिलते ही फोरमैन को मौके पर भेजा। मौके की क्या स्थिति है, रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह सकेंगे। हालांकि एक दिन में करीब 600 रवन्ना जारी नहीं किए जा सकते। **-जिनेश हुमड़,** खनिज अभियता, भीलवाड़ा

	रवन्ना संख्या	मीट्रिक टन
22 मार्च	331	8676
23 मार्च	281	7,211
24 मार्च	673	16,837
25 मार्च	735	17,773
26 मार्च	681	16,777
27 मार्च	770	19,181
28 मार्च	848	21,228
29 मार्च	436	11,082
योग	4,7551	18,765

1892

सीबीआइ का समारोह : भ्रष्टाचार को बताया न्याय के रास्ते में रोड़ा

कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, ताकत वालों पर एक्शन जारी रखिए : प्रधानमंत्री

04.04.23 - पत्रिका समाचार बीकानेर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

फोन से लोन...

भ्रष्टाचार ने बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। 2014 से पहले दिल्ली में प्रभावशाली नेताओं के फोन पर हजारों करोड़ के लोन मिला करते थे।
-नरेंद्र मोदी, पीएम

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआइ के काम की तारीफ करते हुए कहा कि देश में कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। आप जिन लोगों पर एक्शन ले रहे हैं, वे बेहद ताकतवर है। आपका फोकस काम से नहीं हटना चाहिए। मोदी सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सीबीआइ के डायमंड जुबली समारोह में बोल रहे थे।

उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआइ के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करते हुए सीबीआइ का ट्विटर अकाउंट भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि सीबीआइ ने काम और कौशल से लोगों में विश्वास पैदा किया है। आज न्याय के ब्रांड के रूप में सीबीआइ हर जुबान पर है। उन्होंने कहा कि सीबीआइ की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है, अनेक अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार, लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, अड़चनें पैदा करने वाले भी बढ़ रहे हैं। हमारे संस्थानों पर भी नित्य प्रहार बढ़ते चले जा रहे है। इसमें जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार का पैसा लगता है। इसलिए हमें क्राइम और करप्शन के मल्टी नेचर को समझना होगा। उसके कारणों तक पहुंचना होगा।

विपक्ष पर निशाना

मोदी ने बगैर नाम लिए विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व, व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा। हमने काले धन और बेनामी संपत्ति को लेकर एक्शन शुरू किया। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है और यहीं से भाई-भतीजावाद, परिवारवाद को बल मिलता है। जब भाई-भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है, तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है। जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास प्रभावित होता है।

04-04-23 पत्रिका समाचार बीकानेर

भीलवाड़ा : दरीबा, समोड़ी, पासल की डांग का मामला

रॉयल्टी का ठेका राजस्व मंत्री के रिश्तेदार के पास

10 वैध की आड़ में चल रही 100 से अधिक अवैध खदान

जिला मुख्यालय से है महज 5 किमी दूर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रोजाना निकाल रहे 500 ट्रॉली चुनाई पत्थर

समोड़ी (भीलवाड़ा)

भीलवाड़ा. जिला मुख्यालय से महज पांच किलोमीटर दूर पांसल की डांग, समोड़ी व दरीबा में बेखौफ चुनाई पत्थर की 100 से अधिक अवैध खदानें चल रही हैं। इनसे रोजाना करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर निकलता है, जिसकी रॉयल्टी सरकारी खजाने के बजाय ठेकेदार की जेब में जा रही है। यहां रॉयल्टी का ठेका राजस्व मंत्री रामलाल जाट के रिश्तेदार के पास होने से अधिकारी भी कार्रवाई से बचते हैं। इस क्षेत्र में खनिज विभाग ने महज 10 लीज दे रखी है।

दरीबा व समोड़ी क्षेत्र में कई लीज बंद हैं, लेकिन आसपास अवैध खनन के लिए एलएनटी, डम्पर, ट्रैक्टर व कम्प्रेशर लगे हैं। खनिज विभाग के अनुसार जिलेभर में चुनाई पत्थर की 125 लीज है लेकिन इससे कई गुना पत्थर निकाले जा रहे हैं। समोड़ी दरीबा से निकलने वाले चुनाई पत्थर की रॉयल्टी का ठेका डालचन्द चौधरी के बेटे राहुल चौधरी के नाम है। डालचन्द चौधरी राजस्व मंत्री रामलाल जाट के रिश्तेदार हैं। रॉयल्टी ठेका 31 मार्च को समाप्त हो गया लेकिन विभाग ने 10 प्रतिशत राशि बढ़ाकर अगले तीन माह राहुल के नाम ठेका बढ़ा दिया। हालांकि नया टेंडर जारी हो चुका, जो 12 अप्रेल को खुलेगा। इसमें नया ठेकेदार आया तो ठेका समाप्त हो जाएगा। यदि ठेकेदार नहीं आया तो तीन माह रॉयल्टी ठेका उसी के पास रहेगा।

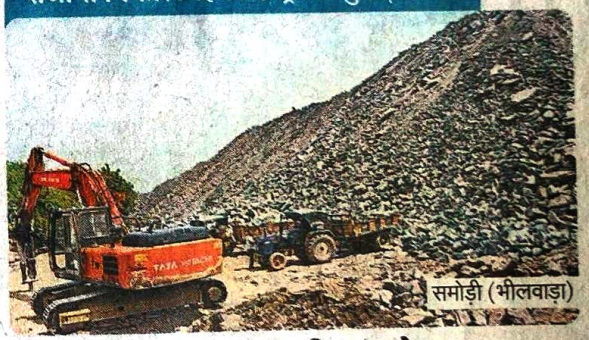

सरकारी खजाने को करोड़ों का घाटा

- अवैध खनन से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है।
- मंगरोप, कारोई, हमीरगढ़, तख्तपुरा व समोड़ी, दरीबा, पांसल की डांग में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है।
- अवैध खनन से जिले में क्रेशर प्लांट चल रहे हैं।
- खदानें बंद होने के बावजूद ऑनलाइन रवन्ना के जरिए इसे वैध कर रहे हैं।

विभाग के पास लवाजमा, फिर भी अंकुश नहीं

भीलवाड़ा मुख्यालय पर खनिज विभाग में अच्छा खासा लवाजमा है। यहां अधीक्षण खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता विजिलेंस, खनिज अभियंता, खनिज अभियंता विजिलेंस, फोरमैन, सर्वेयर व पुलिस जाप्ता हर समय तैयार रहता है, लेकिन अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा।

ठेका अवधि समाप्त होने वाली थी, लेकिन टेंडर 12 अप्रेल को खुलेगा। इसलिए 10 प्रतिशत राशि बढ़ाकर ठेका अवधि बढ़ाई गई है। टेंडर में कोई आता है तो ठेका निरस्त हो जाएगा। नहीं आने पर तीन माह पुराना ठेकेदार रॉयल्टी का काम करता रहेगा। अवैध खनन की शिकायतें मिलती हैं तो कार्रवाई भी करते हैं। **-जिनेश हुमड़,** खनिज अभियंता, भीलवाड़ा

BIKANER PRIME
बीकानेर प्राइम 02
राजस्थान पत्रिका patrika.com
बीकानेर, शनिवार, 08 अप्रेल 2023

08-04-2023 पत्रिका

पेड़ों की अवैध कटाई हुई तो डीएफओ जिम्मेदार होंगे : हाईकोर्ट

बीकानेर में सोलर संयंत्रों के लिए पेड़ कटाई पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

बीकानेर. जोधपुर @ पत्रिका. राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर जिले में सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए अवैध रूप से पेड़ों की कटाई को गंभीरता से लेते हुए उप वन संरक्षक द्वितीय चरण आईजीएनपी, बीकानेर को अवैध कटाई पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी गतिविधियों की निगरानी उप वन संरक्षक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और यदि पेड़ों की अवैध कटाई का कोई मामला उनके संज्ञान में आता है, तो उन्हें अविलंब कोर्ट की जानकारी में लाना होगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव तथा न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ में याचिकाकर्ता अखिल भारतीय विश्नोई महासभा एवं जीव रक्षा संस्थान बीकानेर की ओर से अधिवक्ता सीएस कोटवानी ने बीकानेर जिले के जैमलसर, खाजूवाला, दन्तौर, किसनसर, 750 आरडी पूगल, रत्नीसर एवं कवनी में सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए अवैध रूप से पेड़ों की कटाई का मामला उठाया।

जयमलसर में पेड़ों की अवैध कटान से इस तरह के बने हालात।

शपथ-पत्र दाखिल करने के निर्देश

खंडपीठ ने वन, राजस्व और ऊर्जा विभागों के सचिवों को अगली सुनवाई से पहले दो बिंदुओं पर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यदि 1 मई तक शपथ पत्र दाखिल नहीं किया जाता है, तो संबंधित विभागों के सचिवों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

ठूंठ बना इलाका: पूरे क्षेत्र में अब पेड़ों के नाम पर दिखाई देने वाले यह ठूंठ जैसे मुंह चिढ़ाते दिखते हैं।

इस ओर दिलाया कोर्ट का ध्यान

अधिवक्ता कोटवानी ने कहा कि ऐसे संयंत्र स्थापित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, पेड़ों और वन्य जीवों के आवास को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कोटवानी ने कहा कि सोलर संयंत्रों की तारबंदी में वन्यजीव फंस जाते हैं, जिसके चलते जंगली कुत्ते या अन्य शिकारी उनका शिकार करते हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने वन संपदा को बचाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन उनकी अवहेलना करते हुए रत्नीसर और जसवंतसर क्षेत्र में भी लगभग 300 से अधिक खेजड़ी के पेड़ काट दिए गए हैं। किसनसर को लेकर भी जांच शुरू की गई, जिसमें अवैध रूप से पेड़ों की कटाई सामने आई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। याचिका के अनुसार 750 आरडी में स्थित क्षेत्र अन्य स्थानों पर पेड़ काटने पर काश्तकारी अधिनियम की धारा 83 से 86 तक के प्रावधान लागू करके इतिश्री कर ली गई। सख्त कदम नहीं उठाए गए।

हरीश को अ
तेल माफिय

30 जून 2023

शासन-प्रशासन

दैनिक भास्कर, सीकर, शुक्रवार, 30 जून 2023

ग्राउंड रिपोर्ट

80 खानों के अलॉटमेंट में गड़बड़ी, इंजीनियरों ने ऊंचाई कम दिखाई, सालाना 150 करोड़ रु. का खनन

100 मीटर से ऊंची अरावली पर खनन की रोक; लेकिन जीटी शीट के बजाय अल्टीमीटर से नापकर घटाया कद, लीज दे दी

हर्ष झटाना | जयपुर

खान विभाग के इंजीनियरों ने कागजों में अरावली की ऊंचाई 100 मीटर से कम दिखाकर अलवर, रामगढ़ में करीब 80 खदानों के अलॉटमेंट में गड़बड़ी की है। खान विभाग की एक रिपोर्ट में पूरे अलवर में ऐसी करीब 100 खदानों की संभावना जताई गई है। विभाग के इंजीनियरों ने जीटी शीट (जनरल टॉपोग्राफी शीट) प्रकिया की जगह अल्टीमीटर मशीन से पहाड़ों की ऊंचाई नापकर अरावली को छोटी दिखाकर खदान अलॉटमेंट का रास्ता निकाला था। गौरतलब है कि उदयपुर में इसी तरह के मामले में अल्टीमीटर मशीन से अरावली की ऊंचाई घटाकर नापने और गलत अलॉटमेंट के मामले में ही एसीबी ने तत्कालीन निदेशक सहित 10 अधिकारियों के खिलाफ हाल ही में कोर्ट में चालान पेश किया है।

अल्टीमीटर क्यों नहीं, जीटी शीट प्रक्रिया क्यों?

8 अप्रैल 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और हरियाणा में अरावली में नए खनन पट्टे जारी करने पर रोक लगाई।

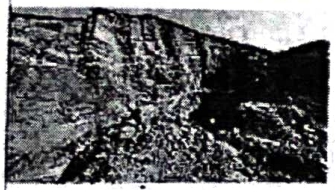

हालांकि इसके बाद सरकार की एक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से राहत प्राप्त कर ली। जिसमें तय किया कि यदि क्षेत्र में पहाड़ी के शिखर यानी पीक व धरातल के लेवल में 100 मीटर का अंतर हो तो उसे अरावली पहाड़ी में मानते हुए खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नाप-जोख में स्लोप भी काउंट होना स्वभाविक है। कमेटी ने ही जीटी शीट से ऊंचाई नापने की प्रक्रिया तय की थी।

ये गलतियां : • पहाड़ी के शिखर को आधार मानकर नापना था, लेकिन पहाड़ी के छोटे हिस्सों को मापकर उस क्षेत्र को पहले तो विवेकाधिकार कोटे से एवं अब अलॉटमेंट के लिए तैयार कराकर नीलाम कराया और 1-1 हैक्टेयर की खदानें अलॉट की। • ऊंचाई नापने की निर्धारित प्रक्रिया जीटी शीट की जगह अल्टीमीटर से नापकर अरावली पहाड़ी का कद बौना किया। • इंजीनियरों ने धरातल पर खड़े होकर अल्टीमीटर हाथ में लेकर पहाड़ी चढ़कर ऊंचाई नापी। इसमें समुद्र तल, पहाड़ी का स्लोप शिखर; आदि काउंट ही नहीं हुए। यानी 225 या 150 मीटर ऊंची पहाड़ी की साइज 100 मीटर के अंदर आ गई।

अवैध माने तो हजार करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना

इंजीनियरों का कहना है कि रामगढ़ से हर साल 30 लाख टन पत्थर निकल रहा है। करीब 135 करोड़ रु. से अधिक की रॉयल्टी चुकाई। इसे दस गुना जुर्माने के आधार पर काउंट करें तो हजार करोड़ रु. से अधिक का केस है।

पूर्व अति. निदेशक सतर्कता ने कहा- पहाड़ी गलत नापी

खान विभाग को शिकायत मिलने पर तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल ने ढाई वर्ष पहले जांच कराई। उस समय अतिरिक्त निदेशक सतर्कता दीपक तंवर ने मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की थी। तंवर ने भास्कर को बताया कि मैंने रिपोर्ट में बताया था कि करीब 80 से 82 खदानें ऐसी हैं, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है। शायद ऐसे 100 मामले अलवर जिले में हैं। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है।

ईआरसीपी • सरकार ने 10 जिलों में पेयजल सप्लाई को 14,200 करोड़ की एएंडएफ दी, टेंडर जुलाई में खुलेंगे

भाजपा की डीपीआर, कांग्रेस कार्यकाल भी पूरा पर 13 जिलों में पेयजल-सिंचाई का सपना अधूरा

भास्कर न्यूज | जयपुर

बजट में घोषणा के बाद शुरू हुआ काम | केंद्र के मत्थे मढ़ा: मालवीय

प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की अटकलें, सौंपी जिम्मेदारियां

हाईकमान ने डोटासरा को दिया नियुक्ति व कार्यक्रमों का जिम्मा

जयपुर | प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की अटकलों के बीच कांग्रेस

इंतजार: जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों की सौंपी सूची

1894

अध्याय III : प्रौद्योगिकी का उपयोग

विभाग ने 10 अक्टूबर 2017 से खान और भूविज्ञान ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली (डीएमजीओएमएस) नामक एक वेब-आधारित एप्लिकेशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्यः

- खनिज रियायत के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना,
- सभी सरकारी बकाया जमा करना,
- मांग पंजिकाओं का संधारण,
- खननपट्टों की जानकारी,
- जारी किए गए परमिटों का डेटा संधारण,
- अवैध खनन के मामले का लेखा संधारण एवं
- तुला पुलों के एम्पैनेलमेन्ट इत्यादि की सूचना संधारण आदि

डीएमजीओएमएस खननपट्टों एवं अन्य मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है। खननपट्टों की प्रभावी निगरानी के साथ-साथ कर्मियों के कामकाज के लिए डीएमजीओएमएस में सूचनाओं को समय पर अद्यतन करना आवश्यक है। इस एप्लिकेशन पर खननपट्टों के निर्देशांक भी अपलोड किए गए हैं। अधिशुल्क की अपवंचना को रोकने, प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और कागज रहित पर्यावरण के अनुकूल कार्य को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से खनिजों के निर्गमन के लिए डीएमजीओएमएस के माध्यम से रवन्ना/ट्रांजिट पास का ऑनलाइन जारी किया जाना नवम्बर 2017 से अनिवार्य कर दिया गया था। भारत सरकार ने भी अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने के लिए खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) अक्टूबर 2016 में शुरू की।

अवैध खनन की जांच एवं उस पर रोक लगाने के लिए सैटेलाइट आधारित तकनीक अर्थात रिमोट सेंसिंग डेटा और जीआईएस तकनीक का उपयोग बेहद महत्वपूर्ण है। यह एक पारदर्शी प्रणाली है जिसका निवारक प्रभाव होता है क्योंकि उपग्रह डेटा से निरंतर निगरानी की जा सकती है। यह पूर्वाग्रह मुक्त एवं स्वतंत्र प्रणाली है क्योंकि यह प्रौद्योगिकी आधारित साक्ष्य पर बनी है। इस प्रणाली में त्वरित प्रतिक्रिया एवं कार्रवाई निहित है क्योंकि खनन क्षेत्रों की नियमित रूप से निगरानी की जा सकती है और संवेदनशील क्षेत्रों की अधिक बार निगरानी की जा सकती है।

चयनित कार्यालयों के अभिलेखों और डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध सूचनाओं की जांच लेखापरीक्षा द्वारा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.1 अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग न करना

राजस्थान खनिज नीति, 2015 के पैरा 7.5.1 के अनुसार अतिक्रमण और अवैध खनन का पता लगाने के लिए विभाग उच्च-रिजॉल्यूशन उपग्रह डेटा के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार संभाग कार्यलयों के सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता;

- अनाधिकृत खनन और राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए उचित निगरानी रखेंगे एवं उचित उपाय करेंगे और अपने अधिकार क्षेत्र में चेक पोस्ट के साथ-साथ खनिज के प्रोसेसर, निर्माता, डीलर और व्यापारी के स्टॉक का भी निरीक्षण करेंगे।
- अपने क्षेत्र में सभी खनन और खनिज गतिविधियों पर नजर रखेंगे और उच्च अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी देंगे।

इसके अतिरिक्त, सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता (सतर्कता) को भी निम्नलिखित कार्य सौंपे गए:

- अनाधिकृत खनन या अनाधिकृत उत्खनन के विरुद्ध सघन जॉच करना;
- खनन क्षेत्रों का निरीक्षण जहां कहीं भी खननपट्टा क्षेत्रों के बाहर खनन करने के बारे में कोई संदेह हो;
- अपने अधिकार क्षेत्र में खनिज ले जाने वाले वाहनों की विशेष रूप से जहां रॉयल्टी की अपवंचना की संभावना हो वहां लगातार जांच करना।

सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता को फोरमैन और सर्वेयर द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इन्हें क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर नजर रखनी होती है और जब भी, किसी भी खनिज के अनाधिकृत कार्यकरण का पता चलता है, तो मामले की सूचना तुरंत संबंधित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता को देंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्रों में राजस्व का कोई रिसाव न हो और वे चेक पोस्ट और खनिज ढोने वाले वाहनों का निरीक्षण करेंगे। वे संबंधित अधिनियमों और नियमों के प्रावधान के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र में खनिज के प्रोसेसर, निर्माता, डीलर, व्यापारी के स्टॉक का निरीक्षण करेंगे।

चयनित पांच संभाग कार्यालयों के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि राज्य में खनन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विभाग द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग अर्थात जीआईएस तकनीक लागू नहीं की जा रही थी, सिवाय कुछ मामलों में जहां भारत सरकार ने उपग्रह चित्रों की मदद अवैध खनन स्थलों को चिन्हित किया था। लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा आवंटित खननपट्टों

के आस-पास अवैध खनन का पता लगाने के लिए गुगल अर्थ प्रो एप्लिकेशन[1] का उपयोग किया। लेखापरीक्षा ने चयनित क्षेत्र में 122 अवैध खनन बिन्दुओं/क्षेत्रों (अवैध खनन क्षेत्रों) की पहचान की। इन अवैध खनन क्षेत्रों के पास सभी पट्टे अप्रधान खनिजों यानि मैसनरीस्टोन, सोपस्टोन, संगमरमर, फेल्सपार, क्वाट्र्ज और सिलिका सैंड के थे। इन खननपट्टों के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि तीन कार्यालयों द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग या तो रिमोट सेंसिंग डाटा/जीआईएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से या खननपट्टों के भौतिक निरीक्षण के माध्यम से अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने में असमर्थ रहा। विवरण तालिका 3.1 में दिया गया है:

तालिका 3.1

गुगल अर्थ प्रो के माध्यम से पहचाने गए अवैध खनित बिन्दुओं का विवरण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम एवं खननपट्टों की संख्या	चयनित तहसील का नाम	तहसील में खननपट्टों की कुल संख्या	चयनित खननपट्टों की संख्या (खननपट्टों का क्षेत्र हेक्टेयर में)	पहचाने गए अवैध खनन क्षेत्रों की संख्या	अवैध खनन क्षेत्रों का क्षेत्र हेक्टेयर में	अवैध खनन क्षेत्रों से संबंधित खननपट्टों की संख्या	अवैध खनन क्षेत्रों से संबंधित खननपट्टों में कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खनि अभियंता सीकर (251)	दांतारामगढ़	137	113 (123.44)	35	21.85	48	6
2	सहायक खनि अभियंता कोटपूतली (370)	कोटपूतली	249	100 (620.30)	29	32.76	44	1
3	सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना (493)	नीमकाथाना	493	100 (146.41)	8	6.09	12	0

1 गूगल अर्थ प्रो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पृथ्वी का एक थ्री-डी परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जो मुख्य रूप से उपग्रह इमेजरी पर आधारित है । यह एक मुफ्त ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम एवं खननपट्टों की संख्या	चयनित तहसील का नाम	तहसील में खननपट्टों की कुल संख्या	चयनित खननपट्टों की संख्या (खननपट्टों का क्षेत्र हेक्टेयर में)	पहचाने गए अवैध खनन क्षेत्रों की संख्या	अवैध खनन क्षेत्रों का क्षेत्र हेक्टेयर में	अवैध खनन क्षेत्रों से संबंधित खननपट्टों की संख्या	अवैध खनन क्षेत्रों से संबंधित खननपट्टों में कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	स्नि अभियंता अलवर (451)	राजगढ़	147	100 (346.07)	15	7.68	21	0
5	स्नि अभियंता मकराना (197)	परबतसर	101	101 (112.43)	35	14.87	50	0
योग	**(1762)**		**1,127**	**514 (1,348.95)**	**122**	**83.25**	**175**	**7**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 34.04 प्रतिशत् चयनित स्ननपट्टों अर्थात 514 में से 175 स्ननपट्टों के आस-पास अवैध स्नन गतिविधियां की जा रही थी। 83.25 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध स्नन की पहचान की गयी है। यह इंगित करता है कि आवंटित स्ननपट्टों के पास बड़े पैमाने पर अवैध स्नन किया जाता रहा और इसकी जानकारी विभाग को नहीं रही। इसके अलावा, निरीक्षण भी प्रभावी नहीं थे क्योंकि स्ननपट्टों के आस-पास अवैध स्नन गतिविधियों का उल्लेख किसी भी क्षेत्र निरीक्षण प्रतिवेदन में नहीं किया गया था। यह अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त और अप्रभावी निरीक्षण को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने रिमोट सेंसिंग डेटा के माध्यम से वर्षों के दौरान क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण किया। नीचे दिए गए चित्र कुछ वर्षों के अंतराल के साथ लिए गए हैं और इनकी अद्यतन छवियों में अवैध स्नन स्पष्ट रुप से दर्शित है। कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं:

- हरी लाइन खननपट्टा क्षेत्र की वैध सीमाओं को दर्शाती है।
- पीली लाइन अवैध खनित क्षेत्र को दर्शाती है।

चित्र 1: दिनांक 17.06.2011 एवं 19.02.2019 को ली गई सैटेलाईट इमेजरी की तुलना करने पर खननपट्टा क्षेत्र के बाहर 0.44 हेक्टेयर भूमि में अवैध खनन पाया गया (खननपट्टा संख्या 53/2000 एवं 31/1998, खनि अभियंता सीकर)

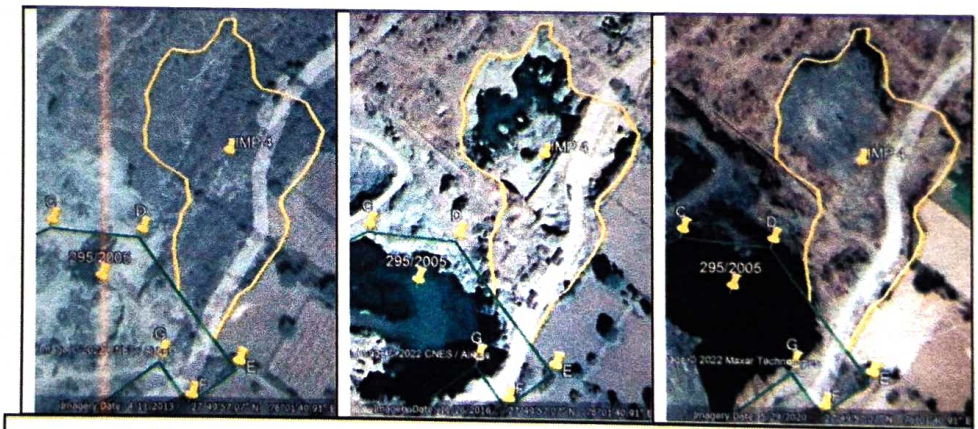

चित्र 2: दिनांक 11.04.2013, 26.11.2016 एवं 29.05.2020 को ली गई सैटेलाईट इमेजरी के विश्लेषण से पता चला कि खननपट्टा संख्या 295/2005 से सटे 0.92 हेक्टेयर में लगातार अवैध खनन हो रहा है (सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना)।

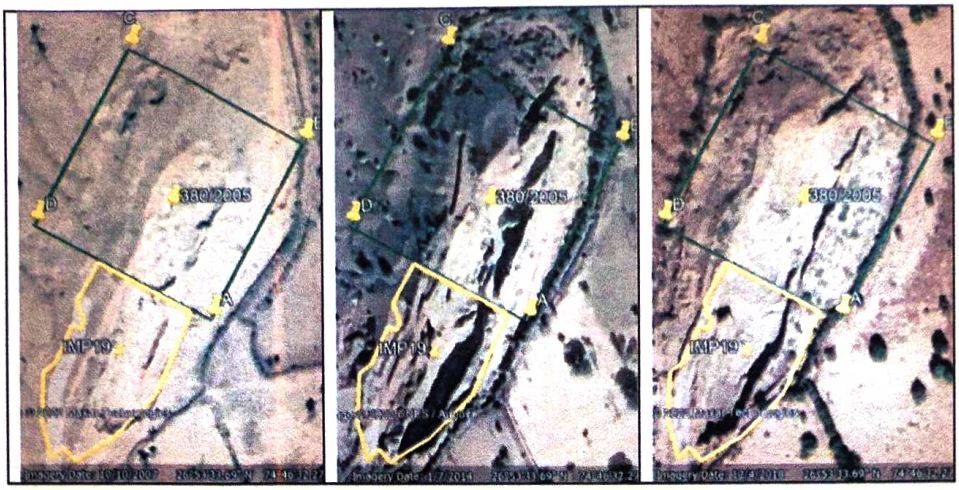

चित्र 3: दिनांक 10.10.2007, 07.01.2014 एवं 04.12.2018 को ली गई सैटेलाईट इमेजरी के विश्लेषण से खननपट्टा संख्या 380/2005 से सटे 0.43 हेक्टेयर में अवैध खनन का पता चला (खनि अभियंता मकराना)।

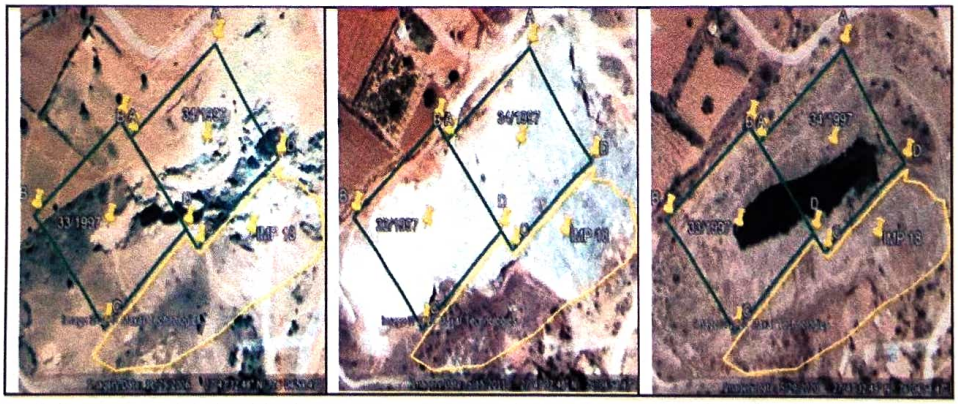

चित्र 4: दिनांक 25.11.2006, 15.05.2011 एवं 29.05.2020 को ली गई सैटेलाईट इमेजरी के विश्लेषण से खननपट्टा संख्या 33/1997 एवं 34/1997 से सटे 1.13 हेक्टेयर क्षेत्र में लगातार अवैध खनन का पता चला (सहायक खनि अभियंता कोटपूतली)।

चित्र 5: दिनांक 26.04.2011 एवं 01.05.2019 को ली गई सैटेलाईट इमेजरी के विश्लेषण से खननपट्टा संख्या 114/2007 एवं 115/2007 से सटे 1.63 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध खनन का पता चला (खनि अभियंता अलवर)।

उपरोक्त छवियां दर्शाती हैं कि कैसे अवैध खनन की पहचान करने के लिए उपग्रह इमेजरी को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तथापि, नीति में स्पष्ट प्रावधान के बावजूद इस संबंध में विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। खननपट्टों के आस-पास के अवैध खनन क्षेत्रों के प्रकरणों ने एक चिंताजनक स्थिति का खुलासा किया और विभाग को प्राथमिकता के आधार पर इससे निपटने की जरूरत है।

संयुक्त भौतिक सत्यापन

उपग्रह छवियों के परिणामों की पुष्टि करने के लिए, लेखापरीक्षा ने विभाग के अधिकारियों/कर्मियों के साथ खनन क्षेत्रों के संयुक्त भौतिक सत्यापन किये। लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए प्रत्येक डिवीजन के पांच अवैध खनन क्षेत्रों का चयन किया। तदनुसार, पांच डिवीजन कार्यालयों में कुल 25 अवैध खनन क्षेत्रों की संयुक्त भौतिक सत्यापन (22 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के मध्य) किया गया। विभाग ने खननपट्टों और अवैध खनन क्षेत्रों के निर्देशांकों को सत्यापित करने के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस)[2] का इस्तेमाल किया। अवैध खनन क्षेत्रों के गड्ढों की गहराई/ऊंचाई, फीतों की मदद से मापी गई क्योंकि डिवीजन कार्यालयों में गड्ढे की गहराई और ऊंचाई को मापने के लिए लेजर आधारित मापने की तकनीक और मैपिंग टूल जैसे नवीनतम उपकरण नहीं थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन ने जांच किए गए सभी अवैध खनन क्षेत्रों में अवैध खनन की पुष्टि की। परिणाम तालिका 3.2 में दिए गए हैं:

[2] ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट (जीएनएसएस) किसी भी उपग्रह नक्षत्र का वर्णन करने वाला एक सामान्य शब्द है जो वैश्विक या क्षेत्रिय आधार पर स्थिति, नेविगेशन और समय सेवाएं प्रदान करता है।

तालिका 3.2

संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम

क्र.सं.	खण्ड कार्यालय का नाम	जीआईएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहचाने गए अवैध खनन क्षेत्रों की कुल संख्या	संयुक्त भौतिक सत्यापन के माध्यम से सत्यापित अवैध खनन क्षेत्रों की कुल संख्या	सैटेलाइट छवियों के अनुसार अवैध खनन क्षेत्रों का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	अवैध खनित गड्ढे[3] की अनुमानित गहराई	टिप्पणियां
1.	अलवर	15	4	3.38	20 से 60 मीटर	-
			1	0.61	अप्राप्त	संयुक्त भौतिक सत्यापन में अवैध खनन का सत्यापन किया गया परन्तु जीएनएसएस उपकरण का उपग्रह से संपर्क नहीं हो सका इसलिए क्षेत्र एवं ऊंचाई की गणना नहीं की गयी।
2.	कोटपूतली	29	5	5.26	22 से 70 मीटर	-
3	मकराना	35	4	1.39	6 से 25 मीटर	-
			1	0.72		
4	नीमकाथाना	8	5	4.18	6 से 20 मीटर	-
5.	सीकर	35	4	1.19	5 से 25 मीटर	
			1	0.48	-	साधारण मिट्टी का अवैध खनन अवैध खनन क्षेत्रों में पाया गया, इसलिए निर्देशांक और गहराई नहीं ली गई।
कुल		**122**	**25**	**17.21**	5 से 70 मीटर	

[3] गड्ढें की अधिकतम गहराई संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान नोट की गई थी।

तालिका 3.2 के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

- सभी प्रकरणों में गुगल अर्थ प्रो छवियों के माध्यम से चिन्हित स्थानों पर अवैध खनन गड्ढे पाए गए, सिवाय एक ऐसे प्रकरण को छोड़कर जहां जीएनएसएस का संपर्क उपग्रह से नहीं हो सका;
- इन अवैध खनित गड्ढों में खनिजो की खुदाई की गहराई 5 से 70 मीटर के बीच थी।

प्रत्येक खण्ड कार्यालय के दृष्टांत के लिए, उपग्रह चित्रों के माध्यम से पहचाने गए एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान सत्यापित क्षेत्रों की कुछ छवियां उदाहरणस्वरूप प्रत्येक खण्ड के लिये नीचे दी गई हैं। खननपट्टा क्षेत्र को हरी रेखा द्वारा, उपग्रह चित्रों द्वारा पहचाने गए अवैध खनित क्षेत्र पीली रेखा द्वारा और संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पहचाने गए अवैध खनित क्षेत्र को लाल रेखा द्वारा दर्शाया गया है। अवैध खनन को प्रमाणित करने के लिए फोटो भी यहां दिए गए हैं।

खननपट्टा क्षेत्र गुगल अर्थ प्रो के अनुसार अवैध खनित क्षेत्र भौतिक सत्यापित अवैध खनित क्षेत्र

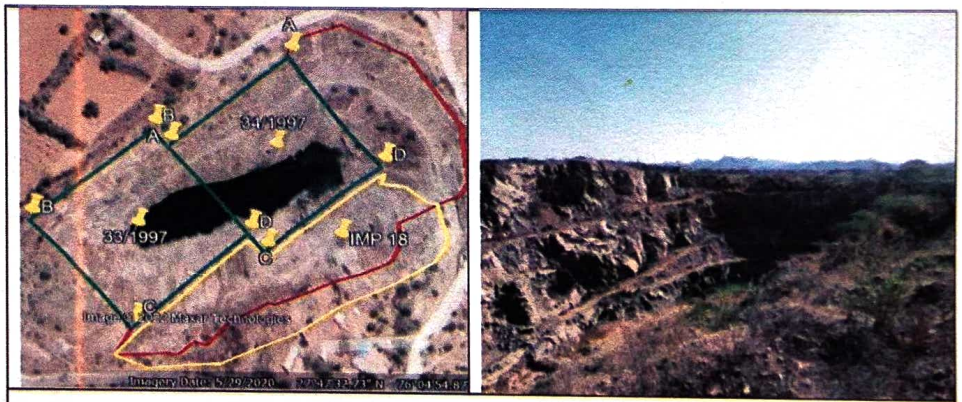

खननपट्टा संख्या 33/1997 एवं 34/1997 (सहायक खनि अभियंता कोटपूतली), फोटोग्राफ दिनांक 08.04.2021.

चित्र 6

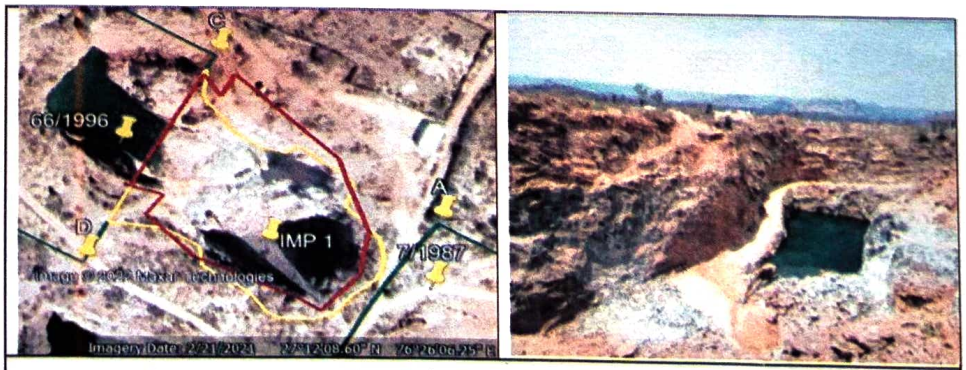

खननपट्टा संख्या 66/1996 (खनि अभियंता अलवर), फोटोग्राफ दिनांक 16.04.2021.

चित्र 7

खननपट्टा संख्या 53/2000 एवं 31/1998 (खनि अभियंता सीकर) फोटोग्राफ दिनांक 24.03.2021

चित्र 8

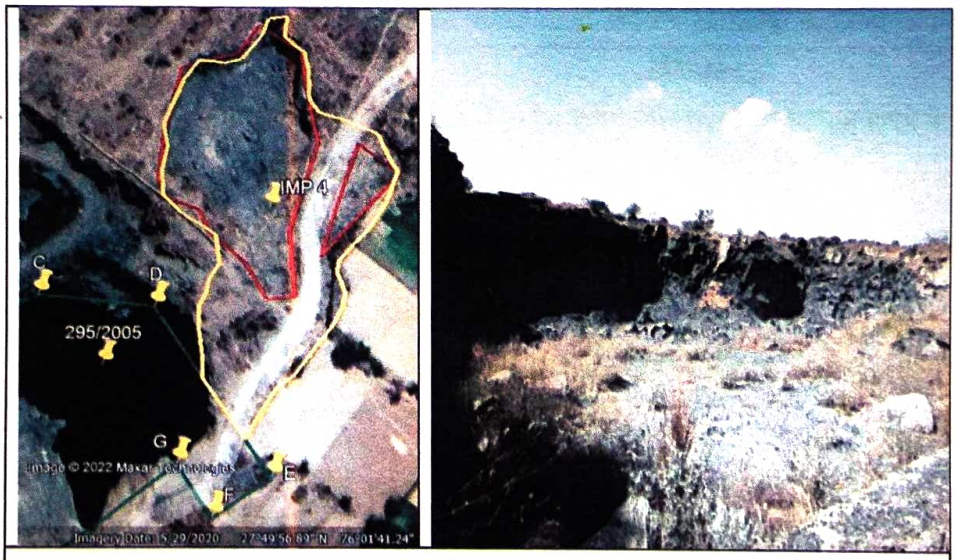

खननपट्टा संख्या 295/2005 (सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना), फोटोग्राफ दिनांक 06.04.2021

चित्र 9

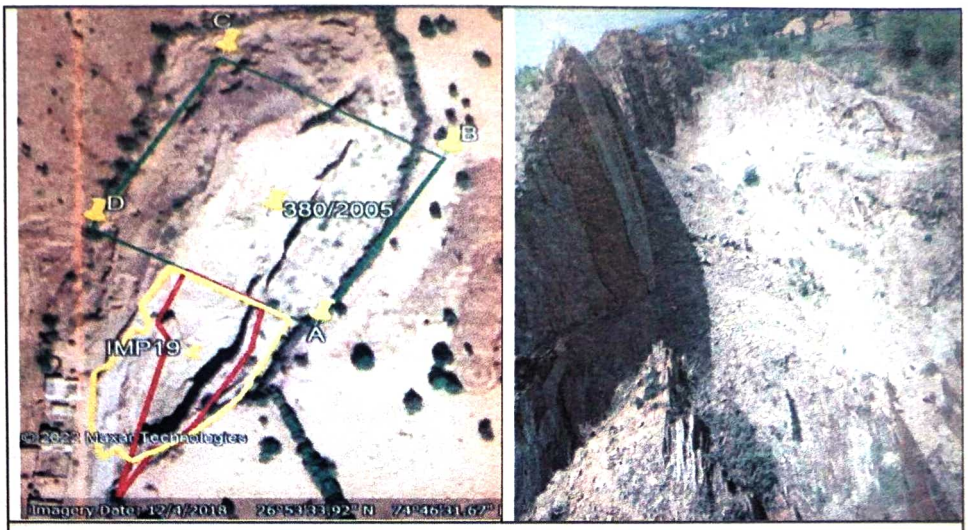

खननपट्टा संख्या 380/2005 (खनि अभियंता मकराना), फोटोग्राफ दिनांक 24.06.2021

चित्र 10

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग किया जा सकता है।

अवैध खनन क्षेत्र को वापस भरना

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि दो अवैध खनन क्षेत्रों (सीकर और नीमकाथाना) में, अवैध उत्खनन क्षेत्र के विशाल गड्ढों को रेत, धूल या ओवरबर्डन सामग्री के मिश्रण से वापस भरा जा रहा था।

अवैध खनित गड्ढों को भरने की तस्वीर

खननपट्टा संख्या बी/518/2005 (सख अभियंता नीमकाथाना), फोटोग्राफ दिनांक 06.04.2021

चित्र 11

इस प्रकार, संयुक्त भौतिक सत्यापन ने स्थापित किया कि प्रौद्योगिकी का उपयोग अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने में सहायक है।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि खनि अभियंता गोटन एवं खनि अभियंता नागौर के क्षेत्राधिन 59 खननपट्टों का ड्रोन सर्वेक्षण किया गया था। इसके अलावा, कार्यालयों को बजट की उपलब्धता के अनुसार निविदा आमंत्रित करने के लिए निर्देश जारी किए गए ताकि रैण्डम नमूना पद्धति के माध्यम से न्यूनतम 5 प्रतिशत् खननपट्टों का चयन कर ड्रोन सर्वेक्षण की जा सके। विभाग ने कार्यालयों को गुगल अर्थ प्रो एप्लीकेशन के माध्यम से सैटेलाइट इमेज के आधार पर अवैध खनन स्थलों की पहचान करने के निर्देश भी जारी किए। सरकार को प्रकरण प्रतिवेदित (फरवरी 2022) होने के बाद विभागीय अधिकारियों[4] ने 25 संयुक्त रूप से सत्यापित अवैध खनन क्षेत्रों में से 14 अवैध खनन क्षेत्रों का निरीक्षण (जून और जुलाई 2022) किया। विभाग ने पुष्टि किया कि इन 14 अवैध खनन क्षेत्रों में 13.37 लाख मीट्रिक टन खनिज मैसनरीस्टोन, संगमरमर, क्वार्ट्ज, फेल्सपार और सिलिकासैंड का अवैध रूप से उत्खनन किया गया था। आसपास के पट्टाधारकों को नोटिस जारी किया गया था। शेष अवैध खनन क्षेत्रों के लिए यह सूचित किया गया कि कार्रवाई की जा रही है।

आरएमएमसी नियम, 2017 में निर्धारित रायल्टी दरों के अनुसार अवैध रूप से उत्खनित इन खनिजों (13.37 लाख मीट्रिक टन) की कीमत ₹ 111 करोड़ थी। इसमें से ₹ 0.50 करोड़ की वसूली सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना द्वारा की गई। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (अगस्त 2022)।

इन तथ्यों ने लेखापरीक्षा तर्क की पुष्टि कि प्रौद्योगिकी का उपयोग अवैध खनन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण साबित हो सकता है और खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियन्त्रण में विभाग की सहायता कर सकता है। तथापि, कुछ सीमित खननपट्टों को छोड़कर विभाग ने अवैध खनन की पहचान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया। अवैध खनन क्षेत्रों की पहचान में देरी से अवैध खनन गतिविधियों में वृद्धि होगी और राजकोष को राजस्व की हानि होगी। ऐसे में तकनीक के इस्तेमाल में तेजी लाने की जरूरत है।

---

[4] खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता : अलवर (2 अवैध खनन क्षेत्र); कोटपूतली (1 अवैध खनन क्षेत्र); मकराना (5 अवैध खनन क्षेत्र); नीम का थाना (1 अवैध खनन क्षेत्र) और सीकर (5 अवैध खनन क्षेत्र)।

3.2 रवन्नों का दुरुपयोग

रवन्ना खनिज के आवाजाही को अधिकृत करने वाला एक कानूनी दस्तावेज है। खननपट्टा से खनिज के प्रत्येक प्रेषण से पहले पट्टेदार को डीएमजीओएमएस से ई-रवन्ना जारी करना होता है।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 2(xliii) के अनुसार, "रवन्ना" का अर्थ विभाग द्वारा विधिवत जारी या विभागीय वेब पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया रवन्ना या ई-रवन्ना है और इसमें किसी भी खनिज रियायत या परमिट के तहत दिए गये निर्दिष्ट क्षेत्र से खनिज या ओवरबर्डन के प्रेषण, खपत या प्रसंस्करण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्रणाली शामिल है। इसके अलावा, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 54 के अनुसार, जैसा भी मामला हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में किसी खनिज रियायत, परमिट या किसी अन्य अनुमति के बिना कोई पूर्वेक्षण या खनन कार्य नहीं करेगा और वैध रवन्ना या ट्रांजिट पास के बिना स्थानों से खनिज नहीं भेजेगा।

ई-रवन्ना के समर्थन से अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों का प्रेषण न केवल राजस्व के लिए खतरा है, बल्कि राज्य में अवैध खनन गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। राज्य में अप्रधान खनिजों के 22,242 पट्टे थे जिनमें से लेखापरीक्षा ने इस खतरे की समीक्षा करने के लिए चयनित खण्डों[5] के 514 पट्टों का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 खननपट्टों में पट्टदारों द्वारा पट्टा क्षेत्रों में कोई उत्खनन नहीं किया गया था। तथापि, मार्च 2020 तक 22,854 ई-रवन्नओं का उपयोग करते हुए इन खननकर्ताओं ने ₹16.64 करोड़ मूल्य के 5.20 लाख मीट्रिक टन (एमटी) खनिज का निर्गमन किया। यह इंगित करता है कि राज्य में बड़े पैमाने पर ई-रवन्ना का दुरुपयोग किया जा रहा है और विभाग अवैध खनन को प्रभावी ढंग से नहीं रोक सका।

[5] लेखापरीक्षा ने पांच खण्डों और 514 खनन पट्टों का चयन किया और चार खण्डों में रवन्नों का दुरुपयोग पाया। अलवर खण्ड के चयनित 100 खनन पट्टों में ऐसा कोई प्रकरण नहीं पाया गया।

एक दृष्टांत उपग्रह चित्र नीचे दिया गया है:

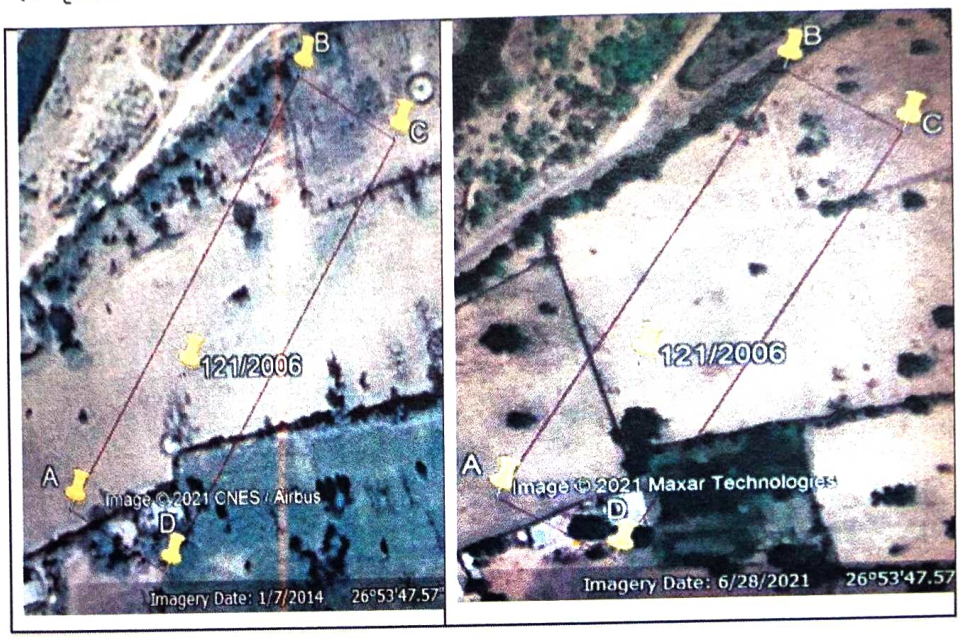

चित्र 12

सैटेलाइट इमेज के विश्लेषण से पता चला कि जुलाई 2014 से जून 2021 की अवधि के दौरान खननपट्टा संख्या 121/2006 (खनि अभियंता मकराना) में कोई खनन गतिविधि नहीं थी। तथापि, पट्टेदार ने 30 अगस्त 2018 से 25 नवंबर 2019 के दौरान 57,568.43 मीट्रिक टन खनिज 2,317 ई-रवन्नों के माध्यम से प्रेषित किया।

इस प्रकार तथ्य इंगित करता है कि आवंटित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से उत्खनित खनिजों के परिवहन के लिए ई-रवन्ना का दुरुपयोग किया गया था। ई-रवन्नों के दुरुपयोग का विवरण तालिका 3.3 में दिया गया हैं:

तालिका 3.3

रवन्नों का दुरुपयोग कर प्रेषित किए गए खनिजों का विवरण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	चयनित तहसील	खननपट्टों की संख्या	ई-रवन्नों की संख्या	निर्गमित खनिज की मात्रा (मीट्रिक टन में)	खनिज का मूल्य (₹ करोड़ में)
1	खनि अभियंता सीकर	दांतारामगढ़	2	172	5,035.26	0.18
2	सहायक खनि अभियंता कोटपूतली	कोटपूतली	3	2,331	52,680.63	1.84
3	सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना	नीमकाथाना	5	17,459	3,26,188.76	11.45
4	खनि अभियंता मकराना	परबतसर	2	2,381	58,663.41	1.64
5	खनि अभियंता जयपुर[6]	-	1	511	77,834.00	1.53
खनि अभियंता जयपुर में, खनन पट्टेदार ने अप्रैल 2000 से मार्च 2020 के दौरान 99,464 मीट्रिक टन खनिज मैसनरी स्टोन निर्गमित किया, जबकि, खनि कार्यदेशक की साइट निरीक्षण रिपोर्ट (25.06.2020) के अनुसार इस अवधि के दौरान उत्खनित खनिज 21,630 मीट्रिक टन था। इस प्रकार, खनन पट्टेदार ने रवन्ना का दुरुपयोग करके 77,834 मीट्रिक टन (99464-21630) खनिज मैसनरी स्टोन निर्गमित किया।						
योग			**13**	**22,854**	**5,20,402.06**	**16.64**

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि ऐसे प्रकरणों की प्रभावी निगरानी के लिए एक अलग आईटी विंग का प्रस्ताव किया गया है।

इस प्रकार, तथ्य यह है कि विभाग ने रवन्नों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया। अगर विभाग ने सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया होता तो वे खनन की सीमा से अवगत होते और इसे जारी ई-रवन्नों से जोड़ सकते थे।

[6] नियमित लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल एक इकाई।

3.3 खननपट्टों का सीमांकन एवं आवंटन

आरएमएमसी नियम, 1986 के नियम 7 में उल्लेखित है कि क्षेत्र को पहले रेखांकित करने और भूखंडों को उपयुक्त रूप से क्रमांकित करने के बाद खननपट्टा आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा, आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 12 में कहा गया है कि खनिज रियायत की नीलामी के संबंध में, 'बोली आमंत्रित करने की सूचना' से पूर्व, सरकार उस क्षेत्र की जहां खनिज रियायत दी जानी प्रस्तावित है, की पहचान और सीमांकन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) या डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस)[7] का उपयोग करते हुए करेगी।

खनि कार्यदेशक और सर्वेयर संबंधित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता के निर्देशों के अनुसार खननपट्टा क्षेत्र योजना और मानचित्र आदि तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। डीजीपीएस/जीएनएसएस की उपलब्धता से पहले कम्पास और फीता की मदद से और उसके बाद डीजीपीएस/जीएनएसएस की मदद से मानचित्र तैयार किए गए थे।

इस प्रकार, खननपट्टों की योजना, सीमांकन और आवंटन यथोचित कर्मठता के साथ किया जाना था ताकि खननपट्टों की ओवरलैपिंग और खननपट्टों के मध्य गैप एरिया जैसी अनियमितताओं से बचा जा सके।

खननपट्टों के उपग्रह चित्रों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि खननपट्टों का सीमांकन यथोचित कर्मठता के साथ नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप खननपट्टों की ओवरलैपिंग हुई और खननपट्टों के मध्य गैप एरिया रह गया। विभाग ने इन मुद्दों को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया जैसा कि आगामी पैराओं में चर्चा की गई है।

3.3.1 खननपट्टों का ओवरलैपिंग

गुगल अर्थ प्रो पर चयनित खननपट्टों के चित्रों की जांच से पता चला कि 43 खननपट्टों के पट्टाक्षेत्र एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इन खननपट्टों का सीमांकन ठीक से नहीं किया गया था। खननपट्टा क्षेत्र के स्पष्ट सीमांकन के बिना, विभाग विशिष्ट पट्टेदार द्वारा उत्खनित खनिज का निर्धारण नहीं कर सकता है। साथ ही, ओवरलैप क्षेत्र में नियमों एवं निर्देशों की पालना नहीं करने की जिम्मेदारी भी निर्धारित नहीं की जा सकती। नमूना जांच की गई तहसीलों में पाये गये ओवरलैप के प्रकरण **तालिका** 3.4 में दिए गए हैं:

[7] **डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम** (डीजीपीएस) ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) का एक विस्तार है जो बेहतर पोजिशनिंग सटीकता प्रदान करता है।

तालिका 3.4

खननपट्टों के ओवरलैपिंग का विवरण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम (चयनित तहसील का नाम)	चयनित तहसील में खननपट्टों की संख्या	चयनित खननपट्टों की संख्या	ओवरलैप हुए खननपट्टों की संख्या (चयनित खननपट्टों की संख्या का प्रतिशत)	ओवरलैप क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	खनि अभियंता सीकर (दांतारामगढ़)	137	113	7 (6)	0.25
2	सहायक खनि अभियंता कोटपूतली (कोटपूतली)	249	100	10 (10)	52.16
3	सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना (नीमकाथाना)	493	100	-	-
4	खनि अभियंता अलवर (राजगढ़)	147	100	15 (15)	2.36
5	खनि अभियंता मकराना (परबतसर)	101	101	11 (11)	2.59
योग		**1,127**	**514**	**43 (8)**	**57.36**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि लगभग आठ प्रतिशत् खननपट्टों का सही ढंग से सीमांकन नहीं किया गया था ताकि ओवरलैपिंग से बचा जा सके। इन खननपट्टों का ओवरलैप क्षेत्र (जैसा कि तालिका 3.4 में दिखाया गया है) 57.36 हेक्टेयर था। ये खननपट्टे वर्ष 1977 से 2017 के बीच स्वीकृत किए गए थे और तब से यह समस्या बनी हुई है। खननपट्टों के ओवरलैपिंग को दर्शाने के लिए एक दृष्टांत चित्र नीचे दिया गया है।

खनि अभियंता सीकर के क्षेत्राधीन खननपट्टों की छवि

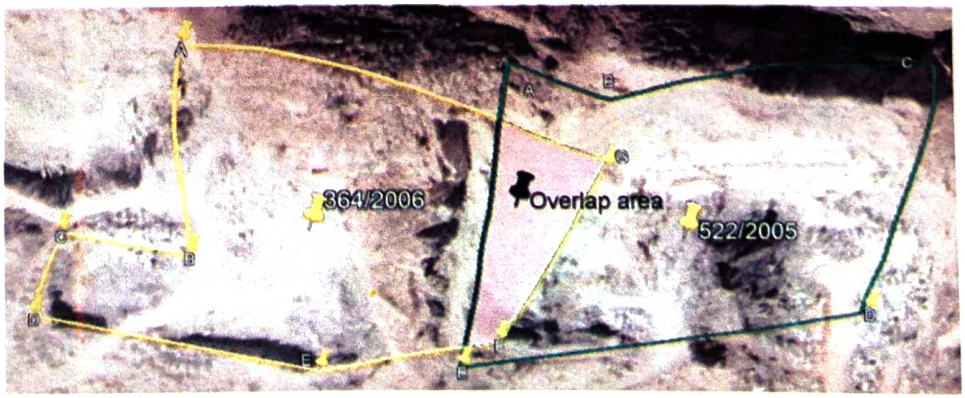

चित्र 13

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि पूर्व में खननपट्टों का सीमांकन कंपास एवं फीता की सहायता से किया जाता था तथा मानचित्र को हस्तचालित रूप से तैयार कर मास्टर मानचित्र पर खननपट्टा क्षेत्र को आलेखित किया जाता था। आरएमएमसी नियम, 2017 लागू होने के बाद जीपीएस/डीजीपीएस (जीएनएसएस) उपकरण का उपयोग इसके लिए अनिवार्य कर दिया गया, मानवीय आलेखन की सटीकता कम्प्यूटरीकृत जीआईएस आलेखन से भिन्न होती है जिसके कारण ये त्रुटियां हुई।

3.3.2 खननपट्टों के मध्य गैप क्षेत्र

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 7 में प्रावधान है कि दो या दो से अधिक खननपट्टों या वन सीमा या किसी अन्य आरक्षित भूमि से घिरे क्षेत्र को गैप क्षेत्र माना जाएगा और ऐसे गैप क्षेत्र को ई-नीलामी के माध्यम से खननपट्टे के रूप में आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा, जहां गैप क्षेत्र 0.5 हेक्टेयर से कम है, ऐसे क्षेत्र को आसपास के खननपट्टेदारों के बीच ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा और इसे सफल बोलीदाता के खननपट्टे में जोड़ा जाएगा।

चयनित 514 खननपट्टों के उपग्रह चित्रों की समीक्षा से पता चला कि विभागीय अधिकारियों द्वारा सीमांकित खननपट्टों को इस प्रकार आवंटित किया गया था कि खननपट्टों के मध्य 30 गैप क्षेत्र रह गए थे। लेखापरीक्षा ने 14 गैप क्षेत्र में अवैध खनन पाया जैसा कि तालिका 3.5 में दिया गया है:

तालिका 3.5

गैप क्षेत्रों का विवरण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	गैप क्षेत्रों की संख्या	गैप क्षेत्रों की संख्या जहां अवैध खनन पाया गया	गैप क्षेत्रों में अवैध खनन का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	खनि अभियंता सीकर	8	8	3.45
2	सहायक खनि अभियंता कोटपूतली	7	0	0.00
3	सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना	5	1	0.10
4	खनि अभियंता अलवर	7	2	0.76
5	खनि अभियंता मकराना	3	3	0.77
योग		**30**	**14**	**5.08**

विभाग ने इन गैप क्षेत्रों के आवंटन/नीलामी के प्रयास नहीं किए। लेखापरीक्षा का मत है कि यदि विभाग ने इन गैप एरिया को आवंटित किया होता तो इससे रॉयल्टी का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता और अवैध खनन गतिविधियों को भी रोक दिया जाता। इस प्रकार, विभाग स्थिर भाटक एवं

रॉयल्टी के रूप अतिरिक्त राजस्व से वंचित रहा। साथ ही, इन क्षेत्रों में अवैध खनन को भी नहीं रोका जा सका। गैप क्षेत्र की एक दृष्टांत छवि जहां अवैध खनन पाया गया, इस प्रकार है:

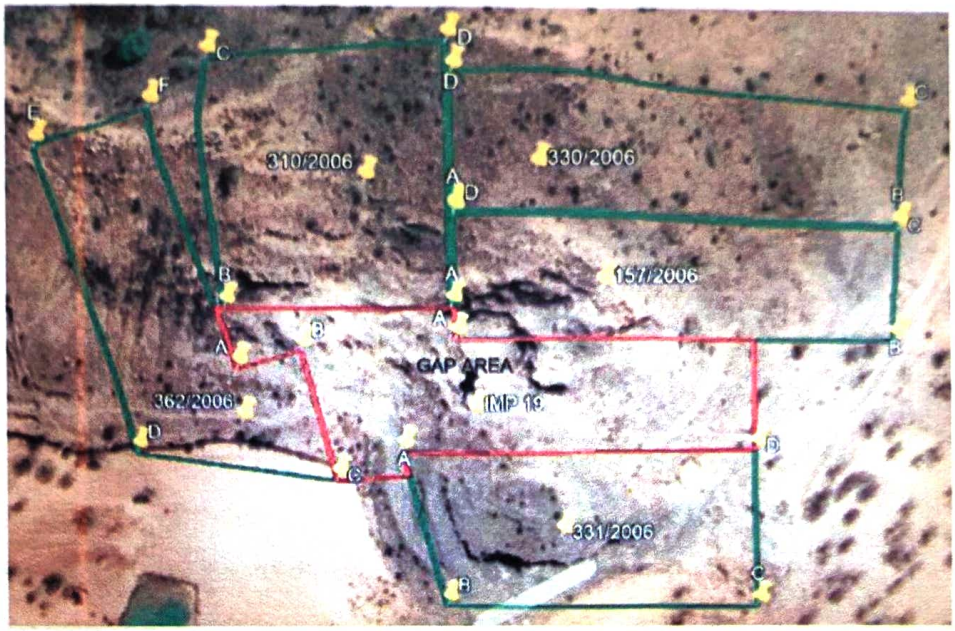

चित्र 14

खनि अभियंता सीकर के क्षेत्राधीन गैप क्षेत्र में अवैध खनन की तस्वीर

हरी रेखा खननपट्टा क्षेत्र को दर्शाती है। लाल रेखा गैप क्षेत्र को दर्शाती है।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि उपयुक्त गैप क्षेत्रों की नीलामी की जावेगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जावेगा।

इस प्रकार, विभाग की जानबूझकर विफलता ने न केवल अवैध खनन को प्रोत्साहित किया, बल्कि स्थिर भाटक और रायल्टी के रूप में अतिरिक्त राजस्व से भी वंचित कर दिया ।

3.4 त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन प्रणाली

विभाग ने हितधारकों के लिए 10 अक्टूबर 2017 को एक नई ऑनलाइन प्रणाली डीएमजीओएमएस की शुरुआत की। इसमें प्रमुख कार्य यथा ई-भुगतान, खननपट्टा सूचना प्रणाली, ऑनलाइन मांग रजिस्टर, ई-रवन्ना और ई-ट्रांजिट पास इत्यादि शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने इस प्रणाली का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया। आगामी अनुच्छेदों में कमियों पर चर्चा की गई है।

3.4.1 संचालन सहमति (सीटीओ)/पर्यावरण मंजूरी (ईसी) में अनुमत्य मात्रा से अधिक मात्रा का रवन्नों के माध्यम से खनिज का निर्गमन

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 28(2)(iv)(b) के अनुसार खनन पट्टेदार सभी खनिजों का उत्पादन खनन योजना की सीमा के भीतर या लागू कानूनों के तहत अनुमत्य मात्रा के अधिन रखेगा। इसके साथ निम्न प्रावधान दिए गए हैं:

- यदि खनन पट्टेदार ने खनन योजना में निर्दिष्ट मात्रा या लागू कानूनों के तहत अनुमति से दस प्रतिशत् अधिक खनिज की खुदाई की है, तो केवल एकमुश्त रॉयल्टी ही वसूली की जाएगी;
- दस प्रतिशत् से अधिक लेकिन पच्चीस प्रतिशत् मात्रा तक खुदाई की तो, खनन योजना में निर्दिष्ट मात्रा या लागू कानूनों के तहत अनुमत मात्रा से अधिक पूरी मात्रा पर रॉयल्टी का दो गुणा वसूल किया जाएगा और
- पच्चीस प्रतिशत् से अधिक कोई भी मात्रा होने पर, खान योजना में निर्दिष्ट मात्रा या लागू कानूनों के तहत अनुमत मात्रा से अधिक पूरी मात्रा को अनाधिकृत उत्खनन माना जाएगा और खनन पट्टेदार ऐसे अतिरिक्त खनिज की कीमत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसकी गणना अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई करने की शक्तियां को प्रभावित किए बिना प्रचलित दर पर देय रॉयल्टी का दस गुणा के रूप में की जाएगी।

इसके अलावा, आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 34 में पर्यावरण सुरक्षा का प्रावधान है। तदनुसार, कोई भी खननपट्टा या खान लाइसेंस पूर्व सहमति, अनुमोदन, परमिट, अनापत्ति और जैसा कि लागू कानूनों के तहत खनन कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक हो सकता है, प्राप्त किए बिना आवंटित नहीं किया जाएगा।

चयनित खननपट्टों के अभिलेखों एवं डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध सूचना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि खनन पट्टेदारों ने संचालन की सहमति (सीटीओ)/पर्यावरण मंजूरी (ईसी) में उल्लेखित अनुमत्त मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन किया था। विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है:

तालिका 3.6

अनुमत्त मात्रा से अधिक उत्खनित खनिज का विवरण

क्र.सं.	खण्ड कार्यालय का नाम	खननपट्टों की संख्या	सीटीओ से अधिक उत्खनित मात्रा (मीट्रिक टन में)	ईसी से अधिक उत्खनित मात्रा (मीट्रिक टन में)	सीटीओ के बिना खुदाई की गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	ईसी के बिना खुदाई की गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	वसूली योग्य राशि (₹ करोड़ में)
1	सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना	2	23,445	17,300	-	-	0.13
2	सहायक खनि अभियंता कोटपूतली	26	5,96,337	29,830	2,73,266	60,820	3.80
3	खनि अभियंता अलवर	2	5,619	-	-		0.07
4	खनि अभियंता मकराना	8	6,000	34,285	-	3,22,294	9.99
योग		**38**	**6,31,401**	**81,415**	**2,73,266**	**3,83,114**	**13.99**

लेखापरीक्षा ने चयनित पांच खण्ड कार्यालयों के 514 खननपट्टों की नमूना जांच की, जिनमें से यह पाया गया कि 38 खनन पट्टदारों ने सीटीओ/ईसी में अनुमत्त मात्रा से अधिक या बिना सीटीओ/ईसी प्राप्त किए खनिजों का उत्खनन किया था। आरएमएमसी नियम, 2017 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण पट्टेदारों पर ₹ 13.99 करोड़ की राशि आरोपणीय थी। इसके बावजूद अनियमितता विभाग के ध्यान में नहीं आई। उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि नमूना जांच किए गए लगभग सात प्रतिशत् पट्टेदार प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन विभाग इन गतिविधियों की जांच में सतर्क नहीं था।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि सीटीओ में अनुमत्त मात्रा से अधिक उत्पादन होन पर डीएमजीओएमएस में ई-रवन्ना के निर्गत को ऑटो ब्लॉकिंग किया जाना 27 अक्टूबर 2018 से प्रभावी कर दिया गया है। इसी तरह का मॉड्यूल ईसी के लिए भी विकसित किया गया है, हालांकि, विभागीय स्तर पर निर्णय के बाद इसे प्रभावी बनाया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुमत्त मात्रा से अधिक उत्पादन पर ई-रवन्ना के निर्गत को रोकने के लिए यथोचित कर्मठता का उपयोग नहीं किया गया था। इसके अलावा, ईसी में अनुमत्त मात्रा से अधिक के ई-रवन्ना निर्गत के ऑटो ब्लॉकिंग मॉड्यूल में देरी से भी राजस्व की हानि हो रही है। यथोचित लगन का अभाव और डीएमजीओएमएस द्वारा आवश्यक जांचो के लिए उपाय किये जाने के अभाव के परिणामस्वरूप सीटीओ/ईसी में अनुमत्त मात्रा से अधिक खनिज का निर्गमन हुआ।

3.4.2 डीएमजीओएमएस पर मांग एवं वसूली की अधूरी/त्रुटिपूर्ण सूचना

चयनित पांच कार्यालयों से अवैध खनन गतिविधियों की लंबित मांगों की जानकारी (जनवरी से जुलाई 2021 के बीच) मांगी गई थी। सिर्फ तीन कार्यालयों नें जानकारी उपलब्ध कराई। खननपट्टों से संबंधित अवैध खनन गतिविधियों की मांगों की जांच में पाया गया कि 53 खननपट्टों के प्रकरणों में डीएमजीओएमएस पर संधारित मांग रजिस्टर में मांग नहीं दर्शाई गई थी जैसा कि तालिका 3.7 में वर्णित है।

तालिका 3.7

डीएमजीओएमएस में शास्ति की राशि नहीं दर्शाने का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	खननपट्टों की संख्या जिनमें डीएमजीओएमएस पर अवैध खनन गतिविधियों की मांग दर्ज नहीं की गई	मांग राशि	वसूली गई मांग राशि	लंबित वसूली की राशि
1	सहायक खनि अभियंता नीमकाथाना	42	25.08	4.32	20.76
2	खनि अभियंता अलवर	4	15.89	0.79	15.10
3	सहायक खनि अभियंता कोटपूतली	7	30.23	2.99	27.24
योग		**53**	**71.20**	**8.10**	**63.10**

लेखापरीक्षा ने पाया कि बकाया मांग जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, विभाग द्वारा डीएमजीओएमएस पर अपलोड नहीं की गयी थी। इस प्रकार, डीएमजीओएमएस अवैध खनन

गतिविधियों के संबंध में खनन पट्टेदारों के विरूद्ध मांग की वास्तविक बकाया मांग को नहीं दर्शाता है।

अन्य दो कार्यालयों द्वारा बकाया मांगों की जानकारी के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन खण्ड कार्यालयों द्वारा डीएमजीओएमएस में पट्टेदारों की सभी बकाया मांगों को दर्शाया गया अथवा नहीं।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय अधिकारियों ने अवैध खनन गतिविधियों के लिए शास्ति की मांग आरोपित नहीं की गई (जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है)। इसके अतिरिक्त, विभाग के पास यह जांचने की व्यवस्था नहीं थी कि प्रत्येक मांग ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज है।

3.4.3 अल्पावधि अनुमति के निर्देशांक अपलोड नहीं किया जाना

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 51 के अनुसार सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थान या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या वित्त पोषित संगठन के कार्यों के निष्पादन के लिए संवेदक को खनिज मैसनरी स्टोन, मुर्रम, साधारण मिट्टी इत्यादि की खुदाई एवं उपयोग के लिए अल्पावधि अनुमति (एसटीपी) दिया जा सकता है। तद्नुसार, विभाग ने खनिज उत्खनन अथवा रॉयल्टी प्रदत्त खनिजों के उपयोग के लिए 22,445 एसटीपी[8] जारी किए।

डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध सूचना की समीक्षा से पाया गया कि विभाग ने एसटीपी के निर्देशांक डीएमजीओएमएस पर अपलोड नहीं किए थे। इन निर्देशांकों के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा एसटीपी प्रदत्त क्षेत्र के निकट अवैध खनन की पहचान नहीं की जा सकी।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि एसटीपी के निर्देशांक अपलोड करने का प्रावधान डीएमजीओएमएस में उपलब्ध है और संबंधित कार्यालय इसे अपलोड कर सकते हैं।

इस प्रकार तथ्य यह है कि संबंधित कार्यालयों ने एसटीपी के निर्देशांक अपलोड नहीं किए थे और विभाग यह भी सुनिश्चित नहीं कर रहा था कि एसटीपी के निर्देशांक अपलोड किए जा रहे थे अथवा नहीं।

[8] 1 अप्रेल 2020 तक जारी एसटीपी स्थिति।

3.4.4 जीआईएस मैपिंग का अभाव

जीआईएस मैपिंग से आशय नक्शा तैयार करने के लिए जीआईएस सॉफ्टवेयर में डेटा परतों को इनपुट करने की प्रक्रिया से है। ये मानचित्र उपयोगकर्त्ताओं को ऐसी सुपाठ्य जानकारी प्रस्तुत करते हैं जो कच्चा डेटा स्वयं प्रदर्शित नहीं कर सकता। यह बेहतर निर्णय लेने एवं बेहतर भौगोलिक सूचना रिकॉर्ड रखने आदि में मदद करता है। गैप क्षेत्रों और खननपट्टों के ओवरलैपिंग को जीआईएस मैपिंग द्वारा पहचाना जा सकता है। डीएमजीओएमएस में प्रत्येक खननपट्टे की जीआईएस मैपिंग का प्रावधान है। जीआईएस मैपिंग की दृष्टांत छवि यहां दी गई है:

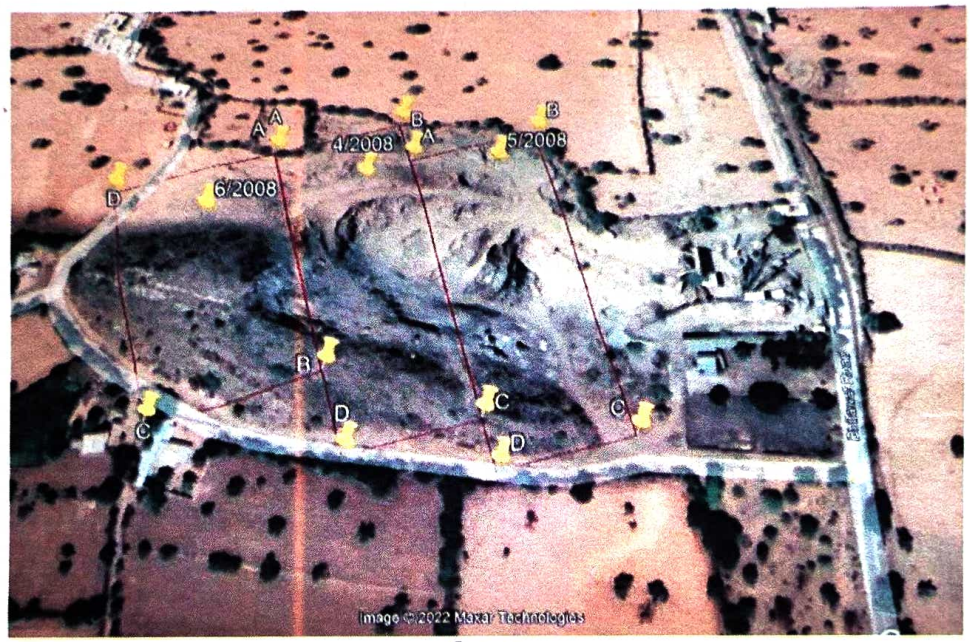

चित्र 15

खननपट्टों की जीआईएस मैपिंग की दृष्टांत छवि

डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध सूचना की समीक्षा में यह पाया गया कि चयनित कार्यालयों के किसी भी खननपट्टों के लिए जीआईएस मैपिंग नहीं की गई थी। जीआईएस मैपिंग के अभाव में पट्टदारों एवं अन्यों द्वारा की गई अनियमितताओं को इंगित करने वाले आवश्यक सुचना से विभागीय अधिकारी वंचित रहे ।

इसके अलावा, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, खान मंत्रालय ने प्रधान खनिजों में अवैध खनन का पता लगाने के लिए अक्टूबर 2016 में देश में खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) शुरू की थी। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को दिसम्बर 2016 तक सभी अप्रधान खननपट्टों का डिजिटलीकरण करके अप्रधान खनिजों के लिए एमएसएस लागू करने के लिए भी कहा था। तथापि, विभाग ने अप्रधान खननपट्टों का डिजिटलीकरण नहीं किया था (जुलाई 2021)।

ध्यान में लाने पर सहायक स्नि अभियंता नीमकाथाना ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020) कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था, इसलिए मैपिंग नहीं की जा सकी। स्नि अभियंता सीकर और अलवर ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020) कि जीआईएस मैपिंग के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद, सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि डीएमजीओएमएस को राजधारा[9] के साथ एकीकृत कर दिया गया है और स्वीकृत स्ननपट्टा क्षेत्रों को राजधारा जीआईएस प्रणाली पर छायांकित किया गया है।

स्ननपट्टों की जीआईएस मैपिंग की नमूना जांच में पाया गया कि स्ननपट्टों के ओवरलैपिंग और बीच के गैप क्षेत्रों को इस मॉड्यूल के माध्यम से पहचाना नहीं जा सकता। इस प्रकार, जीआईएस मैपिंग के उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकी ।

3.4.5 ई-रवन्ना जारी करना

डीएमजी ने निर्देश दिया (18 अक्टूबर 2017) कि किसी वाहन के लिए गंतव्य तक पहुंचने के लिए ई-रवन्ना में उल्लिखित अधिकतम समय अवधि पूरी होने तक, उस वाहन के लिए कोई अन्य ई-रवन्ना जारी नहीं किया जा सकेगा। वाहन द्वारा स्नि‍ज के प्रत्येक निर्गमन में स्नि‍ज की लोडिंग, ई-रवन्ना उत्पन्न करना, तुला पुल पर वाहन की पार्किंग, तुला पुल द्वारा ई-रवन्ना की पुष्टि, गंतव्य पर वाहन का पहुंचना और स्नि‍ज की उतराई और स्ननन स्थल पर वापसी शामिल होता है।

जबकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पिछले ई-रवन्ना पर उल्लिखित अधिकतम समय अवधि के पूरा होने से पहले ही उसी वाहन के लिये ई-रवन्ना जारी हुए थे। यह इंगित करता है कि डीएमजी द्वारा जारी उपरोक्त निर्देश की अनुपालना के लिये प्रावधान डीएमजीओएमएस के सॉफ्टवेयर में नहीं किए गए थे। उदाहरणस्वरुप कुछ प्रकरण नीचे दिए गए हैं:

(i) पहले ई-रवन्ना में गंतव्य की दूरी 15 किलोमीटर होने के बावजूद उसी वाहन के लिए पहला ई-रवन्ना जारी होने के पांच मिनट के भीतर दूसरा ई-रवन्ना जारी किया गया ;

(ii) पहले ई-रवन्ना में गंतव्य की दूरी 10 किलोमीटर होने के बावजूद उसी वाहन के लिए दूसरा ई-रवन्ना पांच मिनट के भीतर जारी किया गया था;

(iii) एक ही वाहन के लिए 80 मिनट के भीतर सात ई-रवन्ना और एक ही वाहन के लिए 15 मिनट के भीतर चार ई-रवन्ना जारी किए गए। अनियमितता दिखाने के लिए दृष्टांत चित्र यहां नीचे दिए गए हैं।

---

9 सुशासन, सतत विकास और नागरिक सशक्तिकरण को सक्षम करने और सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित राज्य की मानकीकृत जीआईएस संपत्तियों को बनाए रखने के लिए राज्य का एकीकृत जीआईएस इंफ्रास्ट्रक्चर ।

तुला पुल पंजीकरण संख्या : 201711080398

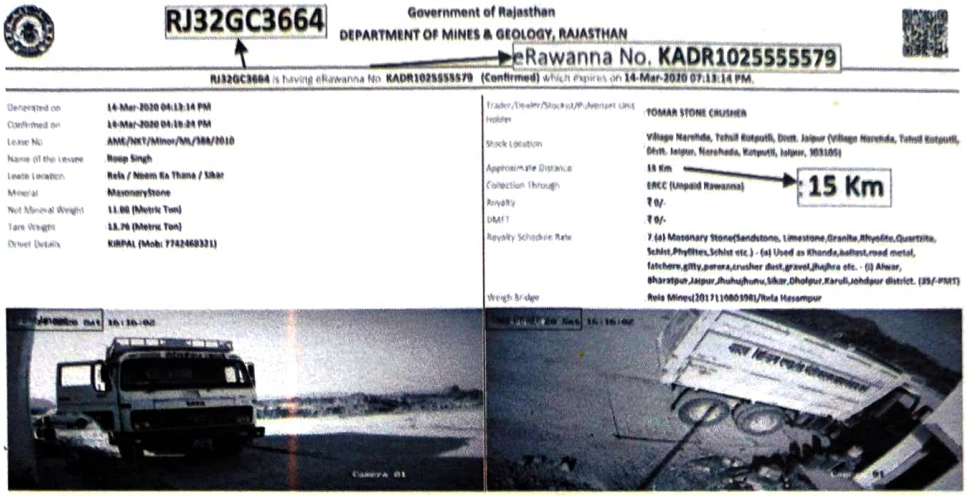

चित्र 16: वाहन संख्या RJ32GC3664 के लिए दो ई-रवन्ना पांच मिनट के भीतर जारी किए गए जैसा कि चित्र 16 एवं 17 में दर्शाया गया है।

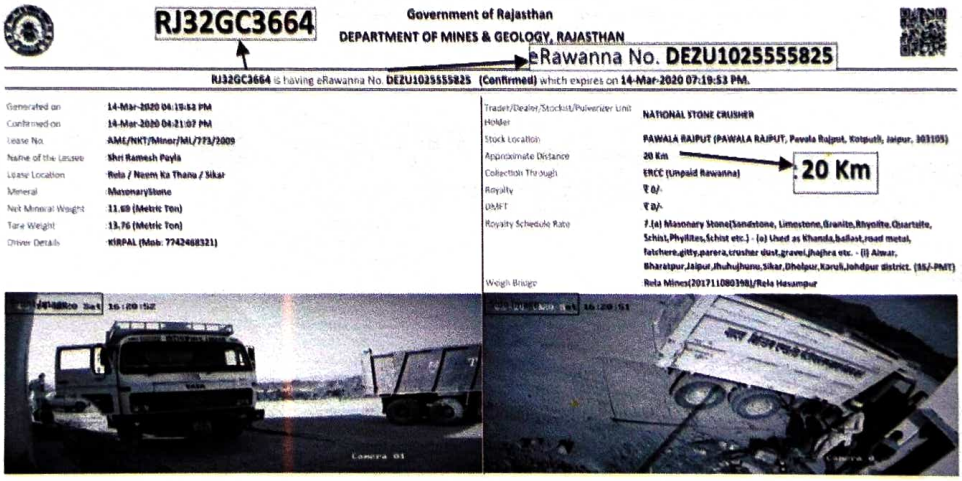

चित्र 17: वाहन संख्या RJ32GC3664 के लिए दो ई-रवन्ना पांच मिनट के भीतर जारी किए गए जैसा कि चित्र 16 एवं 17 में दर्शाया गया है।

- विभिन्न ई-रवन्नों में सीकर जिले के भीतर के समान क्षेत्रों की दूरी में 60 से 201 किलोमीटर के बीच तक भिन्नता थी। इससे पता चलता है कि ई-रवन्नों में वास्तविक दूरियां नहीं दिखाई गई थीं। ऐसे में, कई बार खनिज वहन के लिए, एक ही ई-रवन्ना के उपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

दृष्टांत चित्र नीचे दिए गए हैं:

तुला पुल पंजीकरण संख्या : 201711240616

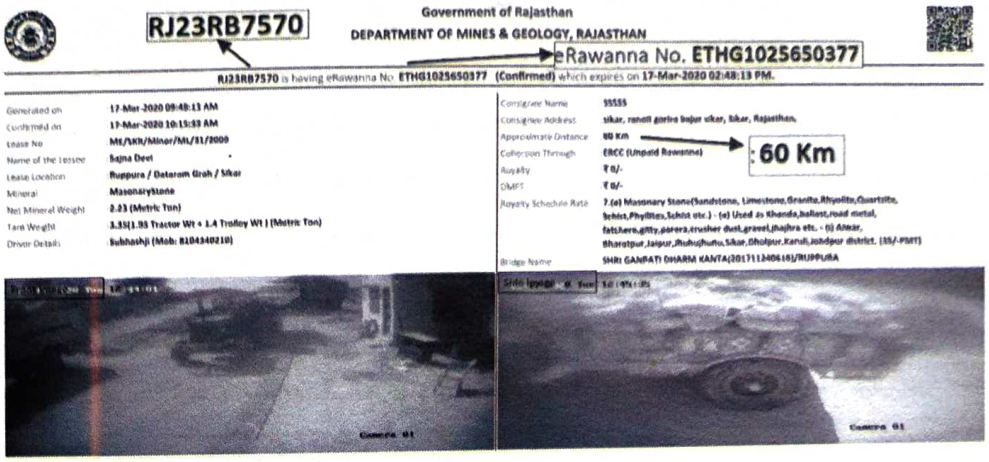

चित्र 18: रूपपुरा से रानोली की दूरी 60 किलोमीटर (चित्र 18) दर्शाई गई, जबकि उन्हीं स्थानों के लिए दूरी 201 किलोमीटर (चित्र 19) दर्शाई गई।

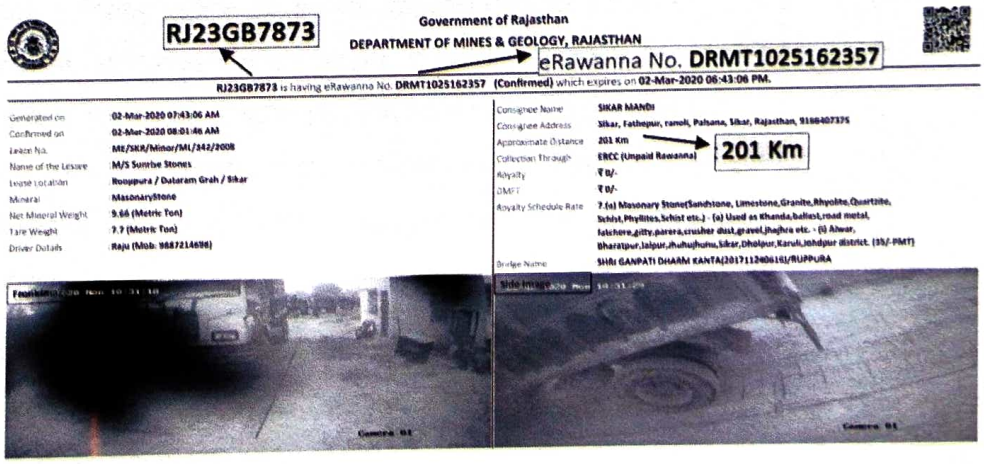

चित्र 19: रूपपुरा से रानोली की दूरी 60 किलोमीटर (चित्र 18) दर्शाई गई, जबकि उन्हीं स्थानों के लिए दूरी 201 किलोमीटर (चित्र 19) दर्शाई गई।

त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन प्रणाली के परिणामस्वरूप ये अनियमितताएं हुईं। लेखापरीक्षा का मत है कि यदि जीआईएस तकनीक का प्रयोग करते हुए ई-रवन्ना में दूरी का उल्लेख किया जाता तो इस अनियमितता से बचा जा सकता था।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि ऐसे प्रकरणों की संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा जांच की गई थी और इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ई-रवन्ना की नमूना जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जो संबंधित कार्यालयों के संज्ञान में नहीं थी।

3.5 वाहनों में जीपीएस उपकरणों को लगाना

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 44 (18) के अनुसार सरकार खनिजों के परिवहन में शामिल वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली लगाये जाने की संभावना तलाशेगी।

यह पाया गया कि राज्य सरकार ने इन वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली लगाने का प्रयास नहीं किया (जुलाई 2021)। इन उपकरणों के अभाव में, रवन्नों के दुरूपयोग यथा खननपट्टों के अलावा अन्य क्षेत्रों से उत्खनित खनिजों के परिवहन अथवा एक रवन्ना का उपयोग कर एक से अधिक बार खनिज का परिवहन इत्यादि के संबंध में वाहनों की निगरानी नहीं की जा सकी।

अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई अच्छी तकनीक

- **वाहनों में जीपीएस उपकरणों का संस्थापन (गोवा राज्य)**

अप्रधान खनिजों के अवैध खनन को रोकने, सरकारी राजस्व का उचित संग्रह, सार्वजनिक सुरक्षा और खनन किए गए अप्रधान खनिज का उचित लेखा-जोखा रखने के उद्देश्य से, गोवा राज्य सरकार ने गोवा राज्य में अप्रधान खनिज परिवहन को विनियमित करने का निर्णय लिया (29 जनवरी 2018)। इसलिए, गोवा राज्य के भीतर अप्रधान खनिजों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के मालिकों को 1 अप्रैल 2018 से खनिज की परिवहन गतिविधियों को करने हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए जीपीएस उपकरणों की संस्थापन कर ₹ 5,000 के एकमुश्त पंजीकरण शुल्क के भुगतान पर डीएमजी (गोवा) प्लेटफार्म पर अपने वाहनों को पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया था।

- **वाहनों पर रेडियो आवृति पहचान (आरएफआईडी) प्रणाली टैग (कर्नाटक राज्य)**

कर्नाटक राज्य ने एकीकृत पट्टा प्रबंधन प्रणाली (आईएलएमएस) की शुरुआत की जिसमें कम मानवीय हस्तक्षेप और इलेक्ट्रॉनिक मोड का अधिक उपयोग शामिल है जिसके परिणामस्वरूप समय की बचत होती है और खनिज की परेशानी मुक्त आवाजाही होती है। मानवीय गलती और दुरप्रवृति से बचने के लिए डीएमजी (कर्नाटक) ने खनिज के व्यवस्थित आवागमन पर नजर रखने व पहुंच के लिए पट्टा परिसर, चेक पोस्ट और क्रेता परिसर में आरएफआईडी प्रणाली की शुरुआत की। चेक पोस्ट पर, यह तेजी से सतर्कता की सुविधा प्रदान करता है और पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करता है। इसके अलावा, आरएफआईडी प्रणाली टैम्पर्ड प्रुफ है और दुरप्रवृति की संभावना को समाप्त करता है।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि विभाग से जीपीएस और आरएफआईडी टैग की अनिवार्य संस्थापन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

3.6 लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश

विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने और उन पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक रुप में आसानी से उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का लाभ नहीं उठाया। लेखापरीक्षा ने अनियमितताएं जैसे खननपट्टों की ओवरलैपिंग और खननपट्टों के बीच के गैप क्षेत्र का आवंटन/नीलामी न करना इत्यादि पाया। संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थानों के अपर्याप्त निरीक्षण के परिणामस्वरूप इन अनियमितताओं की पहचान नहीं हो सकी।

रिमोट सेंसिंग डेटा एवं जीआईएस तकनीक के उपयोग से, लेखापरीक्षा ने 49 खण्ड कार्यालयों में से चयनित पांच खण्ड कार्यालयों के अन्तर्गत चयनित पांच तहसीलों में स्वीकृत खननपट्टों के 122 प्रकरणों (नमूना-जांचित खननपट्टों का 34 प्रतिशत्) में अवैध खनन गतिविधियों की पहचान की। अवैध खनन के 83.25 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गयी। लेखापरीक्षा में ऐसे 13 खननपट्टे भी पाये गये जहां खनिज की खुदाई नहीं की गई थी, परन्तु, 22,854 ई-रवन्नों का दुरुपयोग करके 5.20 मीट्रिक टन खनिज निर्गमित किया गया था। विभागीय अधिकारियों ने पट्टों का सीमांकन इस प्रकार किया कि पट्टों के बीच गैप क्षेत्र थे। इन गैप क्षेत्रों ने अवैध खनन को प्रोत्साहित किया। कुल 30 में से 14 गैप क्षेत्र अर्थात् 46 प्रतिशत में अवैध खनन पाया गया। विभाग ने खनन गतिविधियों की प्रभावी निगरानी के लिए एक वेब आधारित एप्लिकेशन 'डीएमजीओएमएस' की शुरूआत की (10 अक्टूबर 2017)। तथापि, विभाग प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहा। डीएमजीओएमएस में संधारित मांग लेखा में *53* प्रकरणों में अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित मांगों (₹ 71.20 करोड़) को नहीं दर्शाया गया था। खननपट्टों से पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र/संचालन की सहमति में निर्धारित सीमा से अधिक खनिजों का निर्गमन पाया गया और अनुमत्य मात्रा से अधिक खनिज के निर्गमन को रोकने के लिए प्रणाली में कोई प्रतिबन्ध जांच की व्यवस्था नहीं थी। राज्य सरकार ने नागौर जिले में 43 खननपट्टों के ड्रोन सर्वेक्षण को छोड़कर अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने के लिए ऐसी कोई प्रणाली या उपग्रह छवियों के उपयोग की शुरूआत नहीं की।

3.7 सिफारिशें

विभाग विचार कर सकता है:

1. *अवैध खनन गतिविधियों की पहचान में तेजी लाने के लिए रिमोट सेंसिंग/जीआईएस तकनीक जैसे गूगल अर्थ प्रो के साथ अन्य आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करना;*
2. *खननपट्टों के ओवरलैपिंग को दूर करने के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके सभी मौजूदा खननपट्टों का मानचित्रण करना;*
3. *नीलामी नहीं किए गए गैप क्षेत्रों के लिए अधिकारियों पर जवाबदेही तय करना और गैप क्षेत्रों की नीलामी के लिए प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा निर्धारित करना;*
4. *जब भी उत्खनित मात्रा ईसी द्वारा अनुमत्त सीमा को पार करे तो डीएमजीओएमएस प्रणाली में रवन्ना जारी को प्रतिबंधित करने के लिए ऑटो ब्लॉक की व्यवस्था संस्थापित करना, साथ ही अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों के लिए राशि की वसूली में तेजी लाना;*
5. *ऑनलाइन मांग और संग्रहण लेखा में मांग को अपलोड करने के बाद ही मांग नोटिस जारी करने के लिए डीएमजीओएमएस में एक प्रणाली संस्थापित करना;*
6. *खनन की अनुमति दिये गये सभी एसटीपी का मानचित्रण करना एवं निर्देशांक को अपलोड करना;*
7. *ई-रवन्ना में प्रेषण के स्थान और गंतव्य के बीच की दूरी को मापने के लिए जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करना; और*
8. *वाहनों में जीपीएस संस्थापन और आरएफआईडी प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसी अच्छी तकनीक को अपनाना जैसा कि अन्य राज्यों द्वारा शुरू की गई है और खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान द्वारा प्रस्तावित है।*

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

क्रमांक प.12(73)खान/ग्रुप–1/2016 जयपुर, दिनांक 29 AUG 2022

आदेश

1. योजना का नाम एवं आरंभ होने की तिथिः–

1.1 इस योजना को **विभागीय बकाया एवं ब्याज माफी योजना, 2022** कहा जावेगा।

1.2 यह योजना आदेश जारी होने की तिथि से लागू होगी।

1.3 यह योजना केवल अप्रधान खनिजों के प्रकरणों पर लागू होगी।

2. योजना की प्रभावी अवधिः–योजना इस आदेश के जारी होने की तिथि से छः माह तक प्रभावी रहेगी।

3. योजना की प्रायोज्यता (Applicability):–

3.1 यह योजना अप्रधान खनिज के खनन पटटों/क्वारी लाइसेंसों/बजरी हेतु जारी अस्थाई कार्यानुमति (T.W.P.) के स्थिरभाटक/रेन्ट, अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, शास्ति, आर.सी.सी./ई. आर.सी.सी. ठेकों की बकाया, परमिट/एस.टी.पी. एवं निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बकाया एवं अन्य विभागीय बकाया के प्रकरणों पर लागू होगी।

परन्तुः–

1. डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी. की बकाया पर यह योजना लागू नहीं होगी।
2. एन.जी.टी. अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई शास्ति राशि या अन्य राशि पर ये योजना लागू नहीं होगी ।
3. आदेश जारी होने की तिथि को प्रभावशील ठेकों, खनिज रियायतों पर भी यह योजना लागू नही होगी।

3.2 इस योजना में वे प्रकरण शामिल होंगे जिनमें बकाया की मांग दिनांक 31.03.2021 तक की अवधि से संबंधित हैं।

3.3 इस योजना में ऐसे प्रकरणों के निस्तारण पर भी विचार किया जा सकेगा जिनमें किसी न्यायालय अथवा अपील/रिवीजन में प्रकरण लम्बित हैं बशर्ते कि बाकीदार द्वारा सम्बन्धित न्यायालय से वाद विड्रॉ कर लिया जावें/वाद विड्रो करने हेतु न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जावे तथा उसके द्वारा कार्यालय में इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की जाए कि भविष्य में वह इस योजना के तहत निस्तारित किये गये प्रकरणों की बकाया के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में चुनौती देने से निरूद्ध रहेगा।

3.4 इस योजना का लाभ उन्हीं बाकीदारों को देय होगा, जिनके द्वारा योजना के अन्तर्गत जमा करवाई जाने वाली राशि योजना के लागू होने की तिथि से योजना के प्रभावी तिथि तक जमा करवा दी जायेगी।

3.5 यह योजना इस आदेश के जारी होने की तिथि के बाद शेष बकाया पर लागू होगी। आदेश जारी होने की तिथि से पूर्व जमा करवाई जा चुकी राशि तत्समय के दायित्वों के अधीन मानी जाएगी एवं उसका किसी प्रकार का रिफण्ड/समायोजन इस योजना में नहीं किया जाएगा।

3.6 योजना के तहत बकाया की गणना में रॉयल्टी की वही दरें काम में ली जायेंगी, जो प्रकरण के समय लागू थी।

3.7 अगर किसी बाकीदार द्वारा पूर्व मे ही समस्त अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क अथवा अन्य बकाया की मूल राशि पूर्व मे ही जमा करवा दी गई है तथा केवल ब्याज राशि ही शेष है, तो शेष ब्याज राशि इस योजना के तहत सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा माफ की जा सकेगी, भले ही आवेदक द्वारा विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

4. विभिन्न प्रकार की बकाया के प्रकरणों के निस्तारण हेतु अनुदेशः–

4.1 **योजना की शर्तेः–** बाकीदार द्वारा निम्नानुसार बकाया की राशि जमा करा देने पर शेष बकाया तथा समस्त ब्याज माफ किया जाएगाः–

4.1.1 खनन पट्टों/क्वारी लाइसेंस/बजरी हेतु जारी अस्थाई कार्यानुमति (T.W.P.) व ईंट भट्टा परमिटों की बकाया के प्रकरणों में निम्नानुसार मूल बकाया जमा कराने पर शेष मूल बकाया राशि एवं सम्पूर्ण ब्याज राशि माफी योग्य होगी :–

बकाया की अवधि	मूल बकाया का प्रतिशत जो जमा करवाया जाना है
दिनांक 31.03.1990 तक की बकाया	10%
दिनांक 01.04.1990 से 31.03.2000 तक की बकाया	20%
दिनांक 01.04.2000 से 31.03.2010 तक की बकाया	40%
दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2021 तक की बकाया	60%

4.1.2 नियमों की पालना नहीं करने/माईनिंग प्लान/पर्यावरण स्वीकृती/कन्सेन्ट टू ऑपरेट से अधिक उत्पादन करने के दोष पर **तथा किसी निर्णय के कारण खनन अनुदानो को अवैध घोषित किए जाने पर पूर्व की तिथि में वैध खनिज निर्गमन को अवैध मानकर** कायम की गई अवैध खनन शास्ति की दिनांक 31.3.2021 तक की बकाया का 20% जमा कराने पर शेष बकाया राशि एवं एवं सम्पूर्ण ब्याज राशि माफी योग्य होगी।

4.1.3 आर.सी.सी./ई.आर.सी.सी. ठेकों की बकाया के मामलों में ठेके जो खण्डित किये गये एवं ठेके जो पूर्ण ठेका अवधि तक प्रभावशील रहे, में निम्नानुसार मूल बकाया जमा कराने पर शेष मूल बकाया राशि एवं सम्पूर्ण ब्याज राशि माफी योग्य होगीः–

बकाया की अवधि	मूल बकाया का प्रतिशत जो जमा करवाया जाना है	
	ठेके जो खण्डित किये गये	ठेके जो पूर्ण ठेका अवधि तक प्रभावशील रहे एवं वर्तमान में प्रभावशील नही है।
दिनांक 31.03.2011 तक की बकाया	40%	50%
दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2021 तक की बकाया (कोविड महामारी अवधि शामिल)	50%	60%

4.1.4 एस.टी.पी. एवं निर्माण विभाग के ठेकेदारों के विरुद्ध दिनांक 31.03.2021 तक शास्ति स्वरूप कायम की गई मांग के प्रकरणों में यदि बकाया की 20% जमा करा दी जाती है, तो शेष बकाया राशि व समस्त ब्याज राशि माफ की जाएगी।

4.1.5 अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक के प्रकरणों में खनिज रियायतधारक द्वारा एमएल/क्यूएल/ बजरी हेतु जारी अस्थाई कार्यानुमति (T.W.P.)/ईंट भट्टा के स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर व स्वीकृत क्षेत्र के बाहर किये गये अवैध खनन/बिना रवन्ना खनिज निर्गमन के मामलों में निम्नानुसार बकाया जमा कराने पर शेष बकाया सम्पूर्ण राशि एवं समस्त ब्याज राशि माफी योग्य होगी ।

बकाया विवरण एवं अवधि	बकाया का प्रतिशत जो जमा करवाया जाना है	
	खान रियायतधारक द्वारा एमएल/क्यूएल/बजरी हेतु जारी अस्थाई कार्यानुमति (T.W.P.)/परमिट क्षेत्र के अन्दर से निर्गमन	खान रियायत धारक के विरुद्ध उनके एमएल/क्यूएल/बजरी हेतु जारी अस्थाई कार्यानुमति (T.W.P.)/ परमिट क्षेत्र के बाहर बनाए गये प्रकरण एवं अन्य प्रकरण
दिनांक 31.03.2021 तक के पंचनामों में अंतर्निहित राशि	20%	25%

4.2 प्रकरणों का निस्तारण एवं शक्तियाँ–

प्रकरणों का निस्तारण सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा किया जाएगा जिसमे निर्धारित प्रारूप में विवरण, यथा जमा करवाई गई राशि एवं माफ की गई मूल एवं ब्याज राशि का विवरण अंकित किया जाएगा। उक्त आदेश अधिकतम 15 दिवस की अवधि में पारित किये जायेंगे। सम्बन्धित अधीक्षण खनि अभियन्ता द्वारा अपने वृत की प्रगति रिपोर्ट, यथा निस्तारित किये गये प्रकरणों की संख्या, जमा करवाई गई राशि एवं माफ की गई मूल एवं ब्याज राशि का विवरण, पाक्षिक रूप से सोमवार को वित्तीय सलाहकार को प्रेषित की जाएगी एवं योजना समाप्ति पर पूर्ण सूचना प्रेषित की जाएगी।

यह आदेश वित्त (राजस्व) विभाग की सहमति आई.डी. संख्या 102203613 दिनांक 26.08.2022 से जारी किया जाता है।

आज्ञा से

(नीतू बारुपाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खान एवं गोपालन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान,जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

सेवामें,

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय (सतर्कता)
चूरू

विषय :– रणधीसर पहाड़ी पर **DMFT** से बनने वाली नवीन सड़क के सन्दर्भ में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विगत माह में **DMFT** चूरू की बैठक में ग्राम पंचायत रणधीसर के गांव कुवाड़िया से रणधीसर पहाड़ी तक जाने वाले सार्वजनि निर्माण विभाग के रास्ते पर करोड़ों की लागत से नवीन सड़क बनाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

इस सन्दर्भ में मेरा आपसे अनुरोध है कि रणधीसर पहाड़ी पर अवैद्य खनन व प्रदूषण के खिलाफ मेरे द्वारा एक जनहित याचिका सं. 209/2022 मेघसिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली (NGT) में प्रस्तुत की गई जो कि सतत रूप से विचाराधीन है। मेरी इस याचिका में रणधीसर पहाड़ी के खसरा नम्बर 366 तादादी 2.7186 हैक्टेयर किस्म गै.मु.सड़क के सन्दर्भ में अवैद्य खनन द्वारा ग्रामीणों के सार्वजनिक रास्ते को खनन माफियाओं द्वारा अवैद्य खनन कर खुर्द–बुर्द करने के सन्दर्भ में परिवाद पेश किया गया है।

अतः **DMFT** द्वारा करोड़ों की लागत से स्वीकृत नवीन सड़क निर्माण कार्य करवाये जाने से पूर्व मेरी निम्न आपतियों पर प्रसंज्ञान लेते हुये नवीन सड़क निर्माण करवाया जाये अन्यथा राजकोष का दुरूपयोग नहीं किया जाये।

1. रणधीसर पहाड़ी के खसरा नम्बर 366 जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है का पूर्ण सीमा ज्ञान किया जाये।
2. इस सड़क मार्ग पर सानिवि के अधीन आने वाले मार्ग की सम्पूर्ण भूमि मय चौड़ाई चिन्हित कर केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षित की गई खनन क्षेत्र की हरित पट्टी को सुरक्षित छोड़ कर सड़क निर्माण कार्य करवाया जाये।
3. सानिवि के खसरा नम्बर 366 के कटाणी रास्ते पर जो भी कच्चे–पक्के अतिक्रमण आते है उन्हें चिन्हित कर तत्काल प्रभाव से हटाया जाये।
4. अवैद्य खनन द्वारा खुर्द–बुर्द हुये सानिवि के खसरा नम्बर 366 के सड़क मार्ग को चिन्हित कर अवैद्य खनन माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन कार्यवाही हेतु सकारात्मक पहल करे व खान व भू विज्ञान विभाग, उदयपुर को कार्यवाही हेतु लिखे।
5. राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये सानिवि के कटाणी रास्ते पर ही सड़क निर्माण कार्य किया जाये इससे इतर जाकर खनन, क्षेत्र या वन क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य नहीं किया जावे।

अतः आपसे अनुरोध है कि इन बिन्दुओं को मद्देनजर रखते हुये रणधीसर पहाड़ी खनन क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य करवाया जाये अन्यथा प्रार्थी को पुनः खनन विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा।

सधन्यवाद।

दिनांक 27.10.2022
15-11-2022

प्रार्थी

मेघसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपुरोहित
निवासी गांव रणधीसर
ग्राम पंचायत – रणधीसर
तहसील सुजानगढ़ (चूरू)
मो. 9468566124

RR922673153IN IVR:8282922673153
RL PARIHARA S.O (CHURU) <331505>
Counter No:1,15/11/2022,11:20
To:THE DIST COL,COLLECTERCT OFFI
PIN:331001, Churu H.O
From:MEGH SINGH ,RANDHISAR
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

दिनांक : 12–10–2022

सेवामें

श्रीमान् तहसीलदार साहब/लोक सूचना अधिकारी
तहसील कार्यालय सुजानगढ़

विषय :– सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न सूचनाओं की प्राप्ति हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मेरे द्वारा चाही गई निम्न सूचनाएं प्रदान करने का श्रम करावे।

1. ग्राम पंचायत रणधीसर में कुवाड़िया से रणधीसर पहाड़ी जाने वाले सार्वजनिक कटाणी रास्ते के खसरा नम्बर मय राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते की चौड़ाई सहित नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाये।

2. ग्राम पंचायत रणधीसर में गांव रणधीसर से धातरी, सिमसिया, राजलदेसर जाने वाले सार्वजनिक कटाणी रास्ते के खसरा नम्बर मय राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते की चौड़ाई सहित नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाये।

इस हेतु निर्धारित शुल्क 10 रूपये का पोस्टल आर्डर संख्या **52F3323767** आपकी सेवा में पेश कर निवेदन है कि मेरे द्वारा चाही गई सूचनाएं शीघ्र उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

सधन्यवाद।

अधपन्ना COUNTERFOIL
इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले
To be detached and kept by the Sender.
पोस्टल आर्डर ₹ 10
POSTAL ORDER
किसे अदा करना To whom payable: तहसीलदार सुजानगढ़
किस डाकघर में At what Office: सुजानगढ़
क्या इसे क्रास किया है Whether crossed: ✓
भेजने की तारीख Date sent: 12/10/22
52F 323767

प्रार्थी
(हस्ताक्षर)
मेघसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपुरोहित
निवासी गांव रणधीसर (331505)
ग्राम पंचायत – रणधीसर
तहसील–सुजानगढ़, जिला–चूरू
राजस्थान
मो. 9468566124

भारतीय डाक
India Post

RIGHT TO INFORMATION

राजस्थान साकार
तहसीलदार (भू.अ.)सुजानगढ (चूरू)

क्रमांकः– सूअ/2022/4734 दिनांकः– 01.11.2022

श्री मेघसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी गांव रणधीसर तहसील सुजानगढ ।
मोबाईल नम्बर 9468566124

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

प्रसंगः– आपका सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2022 के सन्दर्भ में।

उपर्युक्त प्रसांगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 14.10.2022 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में चाही गई सूचना तैयार की जा चुकी है। सूचना हेतु नियमानुसार निर्धारित शुल्क रु 60/– के पोस्टल ऑर्डर भिजवाये ताकि आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

तहसीलदार(भू.अ.)
सुजानगढ

त्रा COUNTERFOIL
कर प्रेषक अपने पास रख ले।
e detached and kept
by the Sender.

पोस्टल आर्डर
₹ 10
POSTAL ORDER

किसे अदा करना तहसीलदार
To whom payable सुजानगढ़

किस डाकघर में STS
At what Office

क्या इसे क्रास किया है No
Whether crossed

भेजने की तारीख 17-11-22
Date sent

52F 323769

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत

मान् तहसीलदार (भू.अ.) साहब
तहसील कार्यालय
सुजानगढ़ (चूरू)

ार्यालय के पत्र क्रमांक सू.अ./2022/4734 दिनांक 01.11.2022 के सन्दर्भ में। धिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचनाओं के सन्दर्भ में शुल्क जमा बाबत।

रोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैंने दिनांक 14.10.2022 को आपके कार्यालय से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत रणधीसर से जुड़ी हुई निम्न सूचनाएं चाही थी।

1. ग्राम पंचायत रणधीसर में कुवाड़िया से रणधीसर पहाड़ी जाने वाले सार्वजनिक कटाणी रास्ते के खसरा नम्बर मय राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते की चौड़ाई सहित नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि।

2. ग्राम पंचायत रणधीसर में गांव रणधीसर से धातरी, सिमसिया, राजलदेसर जाने वाले सार्वजनिक कटाणी रास्ते के खसरा नम्बर मय राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते की चौड़ाई सहित नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि।

इस बाबत आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक सू.अ./2022/4734 दिनांक 01.11.2022 के जरिये मुझ प्रार्थी को 60/– रूपये शुल्क जमा करवाने बाबत निर्देशित किया गया है। अतः आपकी सेवा में 10–10/– रूपये के कुल 6 पोस्टल ऑर्डर संख्या **52F323769, 52F323770, 52F323771, 52F323772, 52F323773, 52F323774** जमा करवा कर निवेदन है कि मेरे द्वारा चाही गई सूचनाएं शीघ्र उपलब्ध करवाने की कृपा करावे।

सधन्यवाद।

दिनांक 17.11.2022

RR922673312IN IVR:8282922673312
RL PARIHARA S.O (CHURU) <331505>
Counter No:1,18/11/2022,12:04
To:SRIMAN TAHSIL,TAHSIL KARALIYA
PIN:331507, Sujangarh S.O
From:MEGH SINGH ,RANDHISAR
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

प्रार्थी

घसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपुरोहित
निवासी गांव रणधीसर (331505)
ग्राम पंचायत – रणधीसर
पंचायत समिति–सुजानगढ़ (चूरू)
मो. 9468566124

राजस्थान साकार

तहसीलदार (भू.अ.)सुजानगढ (चूरू)

क्रमांकः– सूअ / 2022 / 5060 दिनांकः– 24.11.2022

श्री मेघसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपुरोहित,
निवासी गांव रणधीसर तहसील सुजानगढ ।
मोबाईल नम्बर 9468566124

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

प्रसंगः– आपका सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2022 के सन्दर्भ में व पॉस्टल ऑडर जमा कराने हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक 17. .2022 प्राप्ति दिनांक 23.11.2022 ।

उपर्युक्त प्रसांगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 14.10.2022 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में चाही गई पत्र के सलगन भिजवाई जा रही है।

सलग्नः– उपरोक्तानुसार

तहसीलदार(भू.अ.)
सुजानगढ

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 01/11/2022 10:48:14 AM

जिला : चूरू

तहसील : सुजानगढ़

भू. अ. नि. क्षेत्र : छापर

पारी हल्का : रणधीसर

ग्राम : रणधीसर

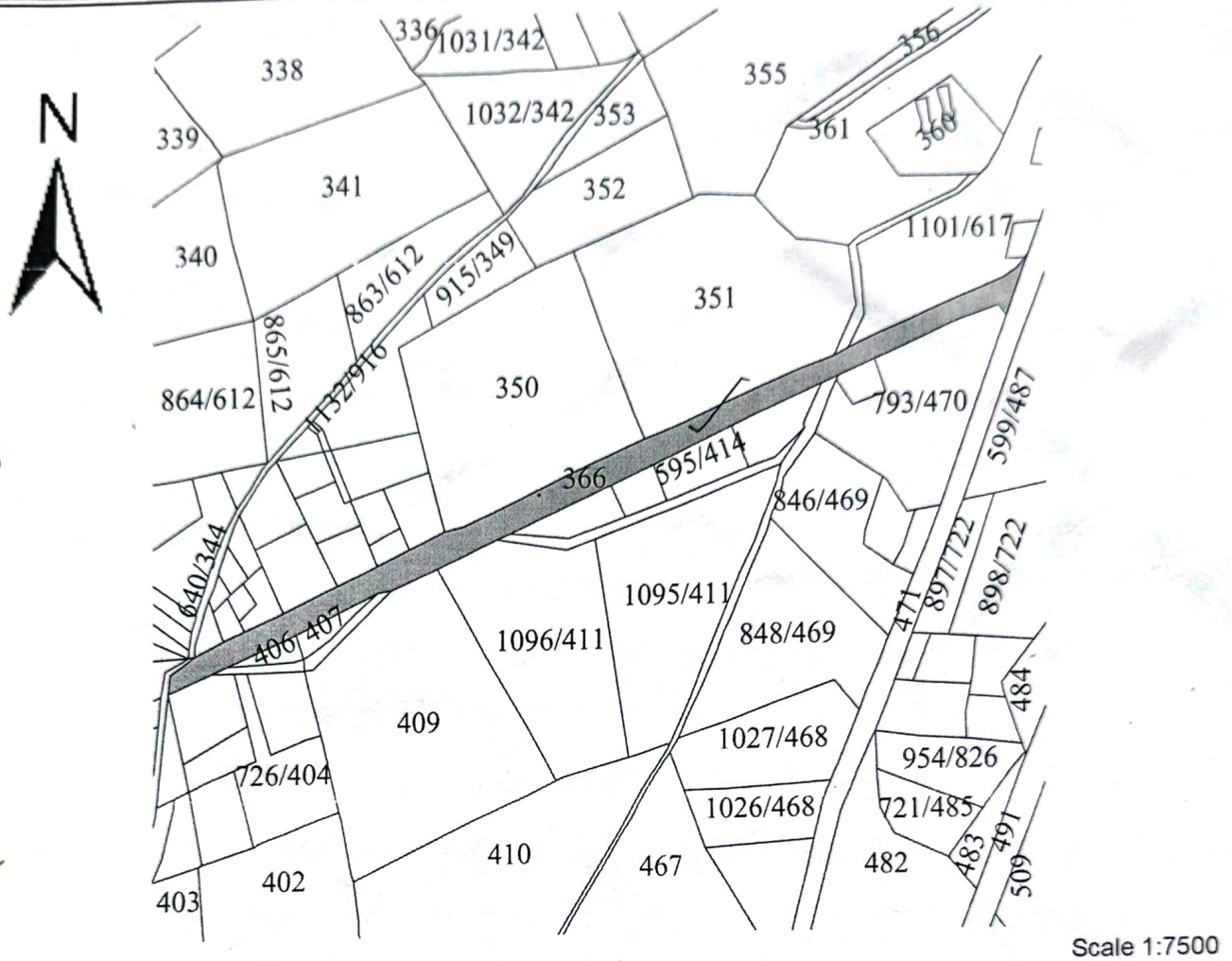

खसरा संख्या :366 क्षेत्रफल : 2.7186 Hectare खाता संख्या : 382पुराना खाता संख्या :359

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: गै.मु. सड़क [2.7186]

1.) सार्वजनिक निर्माण विभाग बस सड़क हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

मीसान तहसीलदार महोदय के आदेश की पालना में सूचना के अधिकार के तहत जारी की गई

01/11/2022 (रूपचन्द चौधरी)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

१. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

1934

अधपन्ना COUNTERFOIL

इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले। To be detached and kept by the Sender.

पोस्टल आर्डर
₹ 10
POSTAL ORDER

किसे अदा करना To whom payable: प्रथम लोक सूचना अधिकारी वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता मण्डल रेल प्रबन्धक जोधपुर

किस डाकघर में At what Office: बीकानेर

क्या इसे क्रास किया है Whether crossed: X

भेजने की तारीख Date sent:

52F 438122

RR791015795IN IVR:8282791015795
RL BANGALANAGAR S.O (334004)
Counter No:3,04/07/2022,14:33
To:PIO ,SR DIV ENG DRM
PIN:342001, Jodhpur HO
From:MEGH SINGH ,RANDHISAR
Wt:18gms
Amt:22.00(Cash)
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Sta

...हनुमान हत्था, बीकानेर। मो. 9414139156

प्रारूप "क"

(धारा 5(1) देखिए)

...सूचना चाहने के लिए आवेदन...

...का भारसाधक: प्रथम लोक सूचना अधिकारी वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता [illegible] मण्डल रेल प्रबन्धक उत्तर/पश्चिम कार्यालय जोधपुर

1. आवेदक का पूरा नाम: मेघसिंह S/o भवानीसिंह राजपुरोहित
2. पता: रणधीसर [illegible]
3. सूचना की विशिष्टियां
   1. उप विभाग/कार्यालय का नाम: ~~मण्डल रेल प्रबन्धक~~ जोधपुर
   2. सूचना की प्रकृति: रेलवे सम्पत्ति नुकसान बाबत
   3. सूचना के पूर्ण ब्यौरे

(1) बंगलानगर हाल्ट [illegible] में स्थापित [illegible] प्लेटफार्म के अन्दर आता था / वर्तमान में नहीं है / वर्तमान में उस ट्रेक वाली भूमि (सम्पत्ति) रेलवे के अधीन है या नहीं की सूचना

(2) यदि रेलवे के अधीन है तो स्वयं [illegible] करवाया जाकर रेलवे की सम्पत्ति में हुए अवैध कब्जा / अतिक्रमण विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाकर नुकसान की भरपाई करवाई जाये तथा कार्यवाही की सूचना प्रेषित करवाई जाये।

4. क्या फीस के संदाय का सबूत संलग्न कर दिया है :- हाँ / नहीं ✓ 52F 438122

मैं कथन करता हूं कि चाही गई सूचना अधिनियम की धारा 5 में अन्तर्विष्ट निर्बन्धन के अन्तर्गत नहीं आती है।

स्थान : बीकानेर

दिनांक :

समय : 10-AM

मेघसिंह

✓

SPEED POST/REGISTRED
NORTH WESTERN RAILWAY

Right to information Cell
DRM's Office, Jodhpur

No : RTI/JU/ Jul-22/ M.S./Engg./3857/4
Dated :- 18.10.2022

Shri/~~Smt.~~ मेघासिंह S/o गंवरसिंह राजपुरोहित
रनधीसर, तह0- सुजानगढ़, जिला:- चुरू,
पोस्ट:- छातरी, रनधीसर।

Sub : Seeking of information under provision of RTI Act 2005.
Reg : Your application dated 12.7.22

****

In reference to your application the desired information/reply has been collected from the concemed nodal PIO the copies of the came are being send to you wich this letter.

If you are not satisfied with the action taken by this office, you can come to the concerned branch officer's office on any working day with prior information.

If you are not satisfied with the above, you can submit your appeal to Appellare authority with reasons, within 30days from receipt of this letter at the address given below.

(Manoj Gupta)
ADRM&Appellate Authority,
DRM Office, NW Railway,
Jodhpur(Raj)342001

Encls - (2)

(Praveen Kumar Inani)
Asstt public information Officer
North Westen Railway
Jodhpur

(5)

उत्तर पश्चिम रेलवे

मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय
इंजीनियरिंग शाखा,
हरीश जोशी मार्ग जोधपुर

L. No. - WWG-27 G-2/Misc/RTI/DNA
Dated - 17-10-2022.

PIO,
NWR, Jodhpur.

Subject-Seeking of Information under RTI Act 2005 by Shri Megh Singh

Ref. :-Your office letter no.- RTI/JU/July-2022/M.S./Engg/3857/x Dt-12-07-2022

*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र में मांगी गई सूचना निम्न प्रकार से है–
मद संख्या 01. इस भूमि का स्वामित्त्व आज भी भारत सरकार रेलवे विभाग के पास है।
मद संख्या 02. सहायक मंडल इंजीनियर, उ.प.रेलवे, डेगाना द्वारा तहसीलदार सुजानगढ को सीमांकन के लिये पत्र प्रेषित कर दिया गया है, जिसके संबंध मे तहसीलदार, सुजानगढ़ से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न है।

आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न–यथोक्त।

17/10/22

Sr. Divisional Engineer/Cord.
N.W. Railway, Jodhpur

R.T.I. DNA (Amar)
252

(4) 167

22/08/022

रिपोर्ट पटवारी बाबत सीमाज्ञान

श्रीमान् जी आज दिनांक 22.08.2022 को आपके आदेश क्र. /भू.अ./2022/330 दिनांक 18.08.22 की पालना ग्राम छोटी शरणवीतर के खसरा नं. 372, 400, 462, 478, 491 का मौका देखा गया। उक्त खसरा नं. के से 491 मे वर्तमान मे रेलवे लाईन स्थापित है एवं ख.नं. 372, 400, 462, 478, में गत कई वर्षों से रेलवे लाईन नहीं है एवं पिछले कई वर्षों से खाली होने के कारण मौके पर कोई सीमाओं के निशान नहीं है सीमा ज्ञान करने के लिए आस पास के सैट से जरीब चलाई जाएगी। लेकिन वर्तमान समय आस-पास के खेतों में फसल कास्त (बुवाई) होने से जरीब चलाई जाना संभव नहीं है अतः श्रीमान जी निवेदन है कि फसल कटाई होने के उपरान्त सीमाज्ञान करवाया जाना संभव है रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान जी की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु पेश है

22.08.22
पटवारी
प.ह. छोटीशरणवीतर

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सुजानगढ़

क्रमांक/भू.अ./2022/ दिनांक 2-8-2022

निमित्त - सीनियर (सेक्शन) इंजीनियर (रेलपथ)
उ.प. रेलवे, सुजानगढ़

मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट वर्तमान में फसल खड़ी होने के कारण सीमाज्ञान संभव नहीं है। फसल कटने के उपरान्त नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जायेगा।

तहसीलदार (भू.अ.)

1938

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत

सेवामें,

श्रीमान् **Sr. Divisional Engirneer/Cord.**
N.W. Railway, Jodhpur

विषय :– आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक **WWG-27G-2/Misc/RTI/DNA Dated 17-10-2022** के सन्दर्भ में।

प्रंसग :– प्रार्थी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 04.07.2022 द्वारा चाही गई सूचनाओं के सन्दर्भ में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैंने दिनांक 04.07.2022 को आपके कार्यालय से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत रणधीसर में रल्वे से सम्बन्धित निम्न सूचनाएं चाही थी।

1. ग्राम पंचायत रणधीसर में रेल्वे विभाग की सम्पति के बारे में जानकारी चाही थी। रेल्वे विभाग की भूमि पर अतिक्रमण व अवैद्य खनन सम्बन्धी जानकारी चाही थी।

इस बाबत आपके कार्यालय के के पत्र क्रमांक **WWG-27G-2/Misc/RTI/DNA Dated 17-10-2022** से जानकारी मिली कि रणधीसर ग्राम पंचायत में वर्तमान में खसरा नम्बर 372, 400, 462, 478 व 491 रेल विभाग की सम्पति है तथा पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लिखा गया कि रेल विभाग की भूमि का सीमा ज्ञान करवाया जाना संभव नहीं है इसलिए अतिक्रमण चिन्हित नहीं किये जा सकते क्योंकि रेल भूमि के प्राचीन सीमा चिह्न मौजूद नहीं है तथा खेतों से जरीब डाल कर सीमा ज्ञान फसलों की सीजन होने के कारण करवाया जाना संभव नहीं है।

इसलिए अब आपसे पुनः निवेदन है कि फसलों की कटाई हो चुकी है तथा खेत एकदम खाली पड़े है पटवारी द्वारा अब रेल भूमि का सीमा ज्ञान करवाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अतः पुनः आदेशित कर रेल्वे विभाग की भूमि का सीमा ज्ञान करवा कर प्रार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध करवाने की कृपा करावे।

सधन्यवाद।

दिनांक 17.11.2022

प्रार्थी

मेघसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपुरोहित
निवासी गांव रणधीसर (331505)
ग्राम पंचायत – रणधीसर
पंचायत समिति–सुजानगढ़ (चूरू)
मो. 9468566124

RR922673309IN IVR:8282922673309
RL PARIHARA S.O (CHURU) <331505>
Counter No:1,18/11/2022,12:05
To:S R DIVISIONA,ENGINEER CORD N
PIN:342001, Jodhpur HO
From:MEGH SINGH ,RANDHISAR
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>